न्यूजर्सी के कार चलाने के नियम और विधान

श्रीमती मोती मेहरोत्रा

द्वारा अनूदित

एस.के.एन.फाउन्डेशन

न्यू.जर्सी

www.sknfoundation.org

Translation © 2010 SKN Foundation

Images copied from the State of NJ Drivers Manual.

Disclaimer: SKN Foundation will not be held liable for any errors in the translation of this manual and for any complications arising from or in connection with the use of or reliance upon any information obtained from this translated manual.

सुरक्षित रूप से कार चलाने के नियम और विधान

१– गति नियन्त्रण	१
२– गमन करना	३
३– दाहिनी ओर वाहन को रखना	५
४– सीधे आते हुए वाहनों को आगे निकलने देना	५
५– रास्ता पार करते हुए पैदल यात्री	६
६– चौराहा	७
७– हाईवे, पार्कवे और टर्नपाइक में प्रवेश	९
८– हाईवे, पार्कवे और टर्नपाइक से बाहर निकलना	१०
९– विशेष हाईवे, पार्कवे और टर्नपाइक की दशा	१०
१०– मोड़	१२
११– आन्तरिक परिवर्तन	१३
१२– मुड़ने के नियम	१४
१३– रुकने के नियम	१७
१४– कार में आगे की बत्ती (हेड लाइट्स) का प्रयोग	२२
१५– पार्किंग के नियम	२३
१६– सेलुलर टेलीफोन	२५
१७– कूड़ा फेकना	२६
१८– ड्राइवर लाइसेन्स	२७
१९– न्यूजर्सी निवासिवों के लिये परीक्षा की अनुमति	२८
२०– सीट की पेटी का कानून	२९
२१– बच्चों की कार सीट	२९
२२– यातायात के सिग्नल और सड़क पर बने निशान	३०
२३– रोड टेस्ट	३१
२४– अस्वीकृति के कारण	३२
२५– शराब का प्रभाव	३३
२६– गैर कानूनी दवा और प्रभाव	३६
२७– स्वस्थ ड्राइविंग	३७

२८– गाड़ी का टाइटिल और रजिस्ट्रेशन ३८
२९– नये वाहनों का नामलेख ३८
३०– पुराने वाहनों का नामलेख ३८
३१– टाइटिल खो जाना या चोरी हो जाना ३९
३२– लाइसेन्स प्लेट ४१
३३– विकलांगों की प्लेट/घोषणापत्र ४२
३४– इस्तेमाल की हुई कारों की जाँच ४४
३५– इन्श्योरेन्स ४५
३६– सड़क पर बने हुए निशान ४६
३७– वाहन की जाँच ४७
३८– विशेषरूप से सावध्न करने के चिन्ह ४७
३९– गोल चक्कर ४७
४०– सड़क पर बने निशानों के चित्र ४८
४१– ब्रेक्स ५२
४२– लाइट्स ५३
४३– टायर ५४
४४– सिग्नल ५४

गति नियन्त्रण

भयानक और अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं का एक साधारण व सहायक कारण निश्चित की हुई गति का उल्लंघन है । एक मोटरचालक को गति की सीमाओं का सदैव पालन करना चाहिये । ड्राइविंग करते समय जो भी होता है उसमें करीब करीब हर चीज को गति प्रभावित करती है । एक अच्छा नियम यही है कि कानून में रहकर यातायात के प्रवाह को बनाये रखें । आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित आपातकालीन अवरोध (स्टाप) के लिये महत्वपूर्ण यह है कि चारो ओर के यातायात से पर्याप्त दूरी बनाये रखें । न्यूजर्सी कानून ने सड़कों, गलियों , हाईवे और फ्रीवे के लिये सर्वोच्च गति सीमाएं निर्धारित की हैं ।

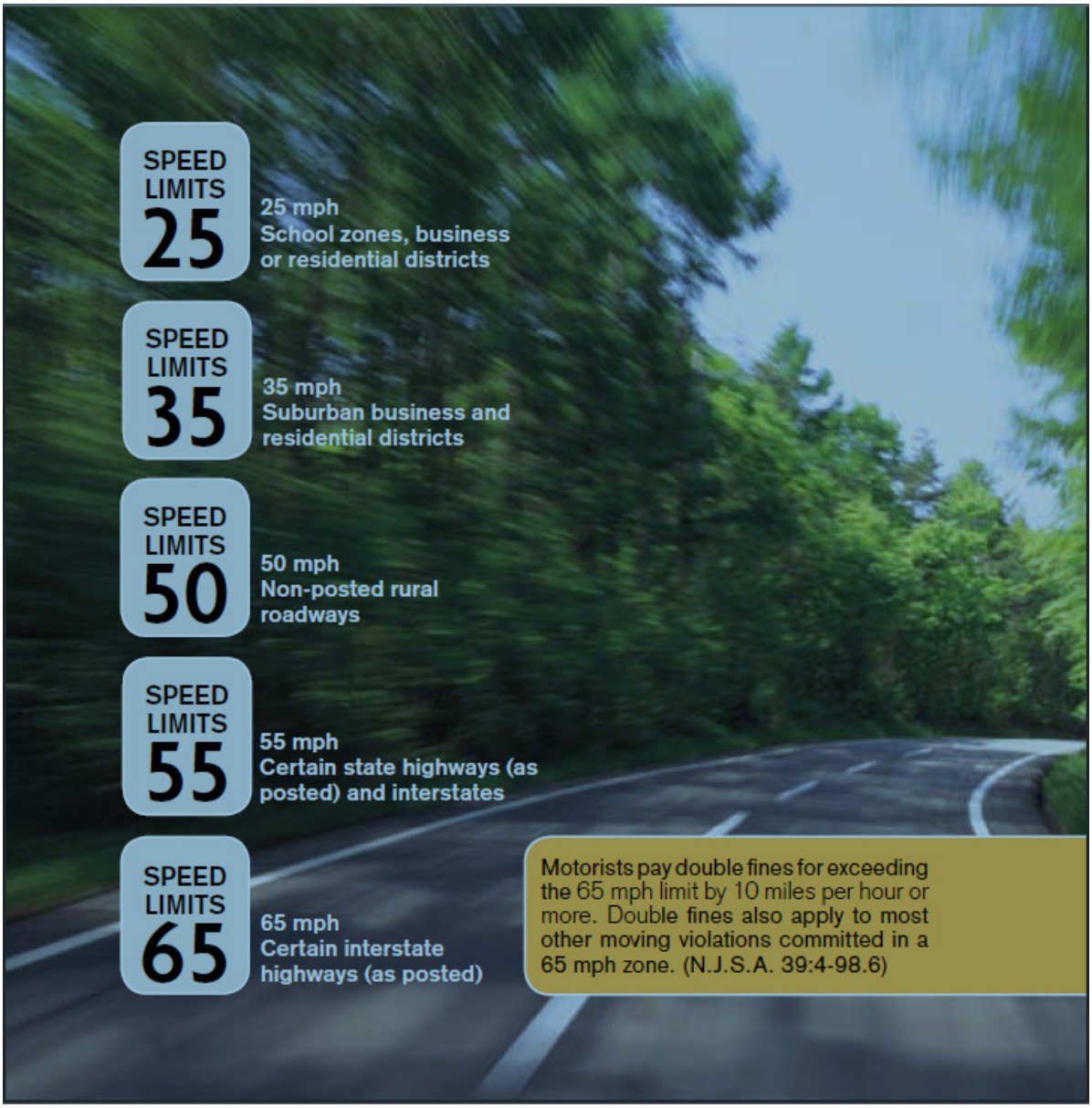

न्यूजर्सी गति सीमाएं (जब तक उनका विज्ञापन दूसरी तरह से न हो)

न.ज.स.अ.३९:४–९८

जब तक मौसम, सड़क और अन्य दशाएं व अवस्थाएं सुरक्षित रूप से स्वीकृति न दें तब तक गति सीमा निर्धारित होते हुए भी तेज गति से वाहन न चलाएं । चाहे पुरुष हो या स्त्री हर वाहन चालक को तात्कालिक दशा के अनुसार वाहन की गति का निर्णय करना चाहिये । वाहन चालक को चाहिये कि वह सामने देख सकने में समर्थ होने के लिये वाहन को पर्याप्त धीमा कर लें ताकि जरूरत पड़ने पर यातायात में रुक सके । ऐसा करने में असफल होने का परिणाम नियम का उल्लंघन हो सकता है ।

सदैव गति धीमी रखें –

- जहाँ सड़क सँकरी और घुमावदार हो ।
- जहाँ चौराहा या रेलरोड क्रासिंग हो ।
- जहाँ पहाड़ियां हों ।
- जहाँ ऊबड़ खाबड़ या अदृश्य मोड़ हों ।
- जहाँ पैदल यात्री हों या वाहन चलाने में खतरा हो ।
- जहाँ सड़कें गीली और फिसलन भरी हों ।

यदि वाहन की खराबियाँ और समस्याएं यातायात के प्रवाह में बाधा डाल रही हैं तो चालक को चाहिये कि वह सड़क से हटकर एक किनारे हो जाय और वाहन की आपातकालीन बत्तियाँ जला दे ।

बहुत धीमी गति से चलाना

वाहन चालक को सदैव यातायात के प्रवाह के साथ वाहन चलाना चाहिये साथ ही साथ निर्देशित गति सीमा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिये । कभी कभी धीमी गति कारों की टक्कर और यातायात के रुकने का कारण बन जाती है । जब सड़कों की सतह और यातायात सामान्य हो तब न्यूजर्सी का कानून धीमी गति से ड्राइविंग द्वारा यातायात को रोकने या उसमें बाधा डालने को सख्त मना करता है ।

सुरक्षित मार्ग (न.ज.स.अ.३९:२०३.५)

हाईवे की सुरक्षा में सुधार के प्रयास में न्यूजर्सी ने सुरक्षित मार्ग कार्यक्रम आरम्भ किया जो २००३ में कानून बन गया। इस कानून ने विभिन्न राज्यों के हाईवे पर ड्राइविंग अपराधों पर जिनमें तेज और आक्रामक ड्राइविंग सम्मिलित है जुर्माना दुगना कर दिया है। आगे निकलना मोटर चालक को साधारण ड्राइविंग के लिये ठीक लेन का पता होना चाहिये और यह भी कि सुरक्षित रूप से लेन को कैसे बदलें। आगे बढ़ने के नियम इस बात पर निर्भर हैं कि सड़क कैसी है। सड़क की मध्य रेखा से दाहिनी ओर रहना चाहिये। आगे बढ़ना तभी तक सुरक्षित है जब तक कि सामने से आने वाला यातायात न हो।

निम्नलिखित लेन के निशानों का सावधानी से निरीक्षण करें:

- यदि दोनों मध्य रेखाएं सम्पूर्ण और अविभक्त हैं तो उन्हें पार करने की आज्ञा नहीं
- यदि एक मध्य रेखा टूटी है तो उसे टूटी हुई लाइन की तरफ से पार किया जा सकता है।
- यदि दोनों मध्य रेखाएं टूटी हैं तो दोनों तरफ से पार किया जा सकता है।

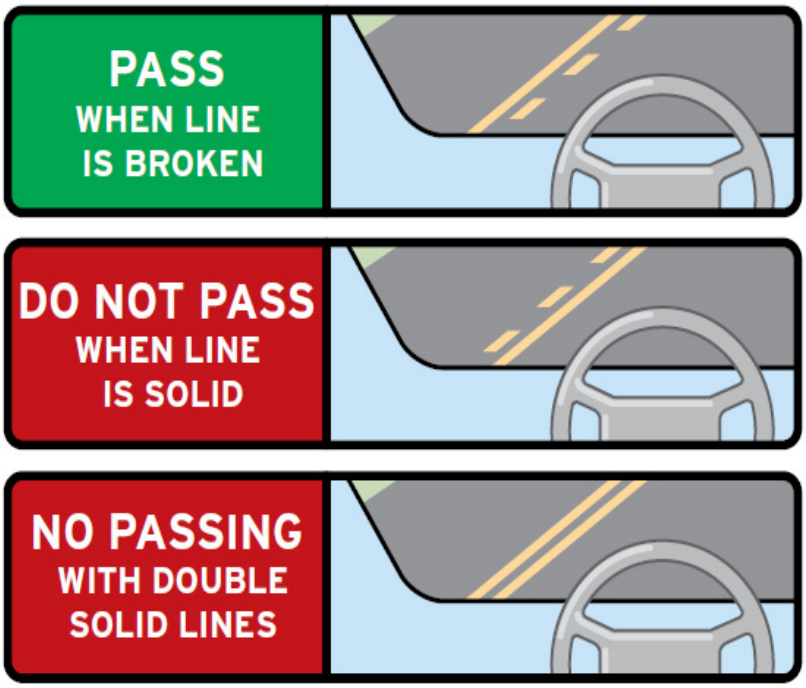

जब सुरक्षित हों तभी आगे बढ़कर पार करें

जहाँ तक हो सके बायीं ओर से ही आगे बढ़कर पार करें दायीं ओर से तभी पार कर सकते हैं जब एक से अधिक लेन एक ही दिशा में जा रही हों या दो या दो से अधिक ठोस लाइनों पर लगातार वाहन आगे बढ़ रहे हैं अथवा आगे वाला मोटर चालक बायीं ओर मुड़ रहा है और पास करने के लिये पर्याप्त जगह है। कभी सड़क के दाहिनी ओर से न पास हों यह कानून के विरुद्ध है । (न.ज.स.अ.३९:४–८५)

एक मोटर चालक को पास नहीं करना चाहिये:

- किसी पहाड़ी या मोड़ पर जहाँ से काफी आगे न देख सके ।
- सड़क की क्रासिंग या चौराहे पर ।
- रेलरोड क्रासिंग पर ।
- किसी सँकरे पुल या सुरंग में ।
- ऐसे निशान जहाँ पार करने की मनाही हो या मध्य रेखा जहाँ पार करने पर प्रतिबन्ध हो
- किसी ऐसे वाहन के पीछे जो किसी पद यात्री के पार करने के कारण रुक गया हो।

दाहिनी ओर ही रहना

न्यूजर्सी का कानून है कि वाहन चालक को आगे निकलने के अतिरिक्त वाहन को हमेशा दाहिनी ओर ही रक्खे । वनवे को छोड़कर चालक सड़क के रास्ते के मध्य दाहिनी ओर ही चलाये ।९न.ज.स.अ.३९:४–८२)

कई लेन वाली सड़क पर वाहन चालक को दाहिने किनारे की सबसे करीब वाली लेन में ही चलाना चाहिये सिवाय इसके कि कोई दूसरा वाहन निकल रहा हो या स्वयं आगे निकलना हो ।

कई लेन वाली सड़क पर दाहिनी ओर की सबसे करीब वाली लेन में ही चलायेंजब लेन यात्रा के लिये उपलब्ध हो सिवाय इसके कि दूसरे वाहन से आगे निकलना हो या बायीं ओर मुड़ना हो ।

आगे जाने देना

एक मोटर चालक को हमेशा निम्नलिखित को आगे निकलने देना चाहिये । इसके लिये मूल नियम सदैव लागू होते हैं ।

- आपातकालीन वाहन : जब पुलिस कार ,आग बुझाने वाले इंजन और एम्बुलेन्स चेतावनी के संकेत दे रही हों जैसे साइरन, चमकने वाली बत्ती
- बसें: जब बसें यातायात के प्रवाह में पुनः प्रवेश कर रही हों
- डाक सम्बन्धी वाहन : जब डाक वाहन यातायात के बीच प्रवेश करने का प्रयास कर रहा हो
- पद यात्री: जब वह चौराहा पार करने का प्रयास कर रहा हो ।
- दूसरे वाहन जो चौराहे पर खड़े हों ।

सड़क पार करते पैदल यात्री

सम्पूर्ण राष्ट्रमें तुलना करते हुए न्यूजर्सी में अधिक पदयात्री टकराकर घायल होते और विपत्ति का सामना करते हैं । पदयात्रियों की सुरक्षा के लिये न्यूजर्सी वासियों को सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि पदयात्रियों की सुरक्षा सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है । केवल पदयात्री ही इन दुर्घटनाओं का कारण नहीं । मोटरचालक और पदयात्री दोनों को ही उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है ।

एक वाहन चालक को:

- पदयात्री के पथ पार करते समय रास्ता देना चाहिये (पेर न.ज.स.अ.३९.४.३६.) यदि ऐसा नहीं कर सका तो $१००और दो प्वाइन्ट का लाइसेन्स का जुर्माना तथा १५ दिन की जेल हो सकती है ।
- जब पदयात्री लाल बत्ती पर मुड़ रहा हो तब
- गति सीमा का पालन करना चाहिये ।
- पैदल पार पथ को न रोकना और न वहाँ रुकना चाहिये ।
- वाहन के शीशे को साफ रखना चाहिये ताकि अधिकतम दूरी तक देख सके ।
- हर समय पदयात्रियों के लिये सावधान रहना चाहिये ।

- उन स्थानों पर हमेशा सावधान रहना चाहिये जहाँ अधिकतर पैदल लोग दिखाई देते हैं जैसे स्कूलों के पास , शहरों के केन्द्र, आवासीय क्षेत्र, पार्क आदि ।
- कभी उस वाहन से आगे निकलने का प्रयास न करें जो किसी पद यात्री के निकलने के लिये रुका है ।
- उन पदयात्रियों के सड़क पार करते समय रुकना चाहिये जिनके पथ पार करते समय सिग्नल बद्ल गया हो ।
- याद रखें कि पदयात्रियों की सुरक्षा बनाये रखने में वाहन चालक सबसे अधिक उत्तरदायी हैं ।

चौराहा

यह वह जगह है जहाँ कई सड़कें एक दूसरे को काटती या किसी कोण पर मिलती हैं । अधिकांश टक्करें इसी जगह होती हैं । एक मोटरचालक को तीन प्रकार के चौराहों पर सावधान रहना चाहिये और यह जानना चाहिये कि किस प्रकार सुरक्षापूर्ण ढंग से उन्हें पार किया जाय । एकहरी ठोस सफेद रेखा यदि चौराहे पर है तो वाहन चालक को यातायात के सिग्नल या निशान के लिये उस रेखा के पीछे रुकना है ।

नियन्त्रण

यदि किसी चौराहे पर किसी दिशा में यातायात के सिग्नल या निशान हैं तो वह नियन्त्रित है । मोटरचालक को सिग्नल और उन संकेतों का पालन करना चाहिये । नियन्त्रित चौराहे वाले स्टाप पर कुछ निश्चित स्थितियों में चालक को रुककर रास्ता देना चाहिये । अनेक रास्तों वाले स्टाप या चौराहे वाले स्टाप पर यदि उसके दाहिनी ओर वाला चालक भी उसी समय वहाँ पर आया है या पहले से चौराहे पर रुका है तो चालक को रुककर उसे रास्ता देना चाहिये । नियन्त्रित चौराहा जिसपर यील्ड का निशान हो वहाँ चालक को वाहन की गति धीमी कर लेनी चाहिये और चौराहे से जाने वाले यातायात को जाने दे भले ही उसे रुकना पड़े । यदि किसी चौराहे पर उसे बायें मुड़ना हो तो सामने से आने वाले यातायात को और पैदल पथ पार करने वाले यात्रियों को पहले जाने देना चाहिये ।

नोट:– ट्रैफिक सिग्नल से बचने के लिये किसी की प्राइवेट सम्पत्ति पर ड्राइव करना मोटर वाहन के नियमों का उल्लंघन है (न.ज.स.अ.३९.४.–६६.२)

अनियन्त्रित

जब दो या दो से अधिक सड़कें मिलती हैं और वहाँ कोई यातायात का सिग्नल या नियमित करने वाले उपकरण व यन्त्र नहीँ लगे हैं ऐसे चौराहों से गुजरते हुए मोटरचालक को सदैव सावधान रहना चाहिये । अधिकतर चौराहों पर पहुँचने के पूर्व ही चेतावनी के चिन्ह बने होते हैं पर अनियन्त्रित चौराहे से गुजरते हुए मोटरचालक को वाहन की गति धीमी कर लेनी चाहिये अगर दायीं या बायीं ओर से कोई वाहन आ रहा है तो रुक जायं। यह सामान्य नियम है कि बायीं ओर का वाहन दाहिनी ओर के वाहन को रास्ता दे । यदि बिजली फेल हो जाने के कारण सिग्नल की लाइटें न जल रही हों तो चारो ओर के स्टाप सिग्नल को देखकर आगे बढ़ें ।

न देख सकना

इमरतें पार्क की हुई गाड़ियाँ या झाड़ियाँ चालक को आगे देखने में बाधा डाल सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर पेड़, खड़ी फसल आदि देखने में बाधक हो सकती हैं । मोटर चालक को यह निश्चय करने के लिये कि सामने से या दूसरी ओर से कोई वाहन नहीं आ रहा है, अपने वाहन की गति धीमी कर लेनी चाहिये या बिल्कुल रुक जाना चाहिये ।

ट्रैफिक में गोल चक्कर

न्यूजर्सी में गोल चक्कर के चारो ओर , अन्दर या बाहर जाने के लिये ड्राइविंग के कोई निश्चित नियम नहीं हैं । अतः हर समय सावधानी के साथ सामान्य ज्ञान का प्रयोग करना चाहिये । ऐतिहासिक रूप से स्थापित यातायात के नियम यह बताते हैं कि कौन सही रास्ते पर जा रहा है । यदि कोई खास हाईवे गोल चक्कर से होकर गुजरता है तो वही यातायात के प्रवाह को नियन्त्रित करता है । गोल चक्कर में जाते समय यातायात नियन्त्रण के निशान जैसे रुकना, आगे जानेदेना आदि भी इस बात पर नियन्त्रण रखते हैं कि कौन वाहन चालक पहले आगे जायेगा । सभी निशानों को देखे बिना और इस बात का निश्चय किये बिना कि जो पहले ही गोल चक्कर पर जा चुका है उसका इरादा क्या है कभी भी गोल चक्कर में प्रवेश न करें ।

हाईवे, पार्कवे और टर्नपाइक में प्रवेश

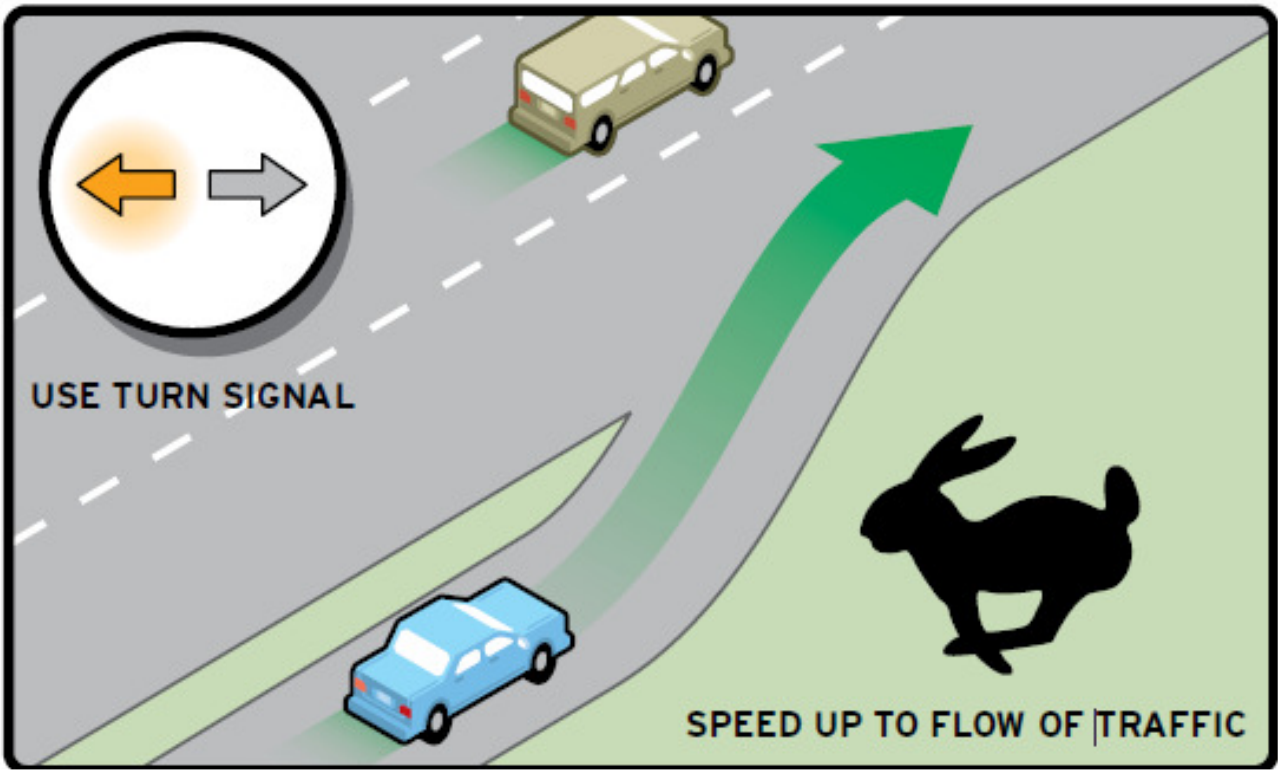

हाईवे , पार्कवे और टर्नपाइक तेज गति वाली (६५ मी. प्र. घ.) बटी हुई सड़कें हैं जिनमें सामान्यतः कई लेन होती हैं । विभक्त लाइन के हर तरफ यातायात केवल एक ही दिशा में यात्रा कर सकता है । इनमें कोई सीधे बने हुए चौराहे नहीं होते । मोटर चालक इन सड़कों पर अन्दर आने वाली लेन से प्रवेश कर सकते हैं जो अतिरिक्त हाईवे में प्रवेश के लिये चालक द्वारा प्रयुक्त होती हैं ताकि वह यातायात के प्रवाह की गति को बनाये रक्खे । उचित लेन में आने के पूर्व चालक को उस यातायात को आगे जाने देना चाहिये जो पहले से ही मुख्य सड़क पर यात्रा कर रहा है ।

हाईवे, पार्कवे और टर्नपाइक में प्रवेश करते समय निम्न बातों का ध्यान रक्खें –

- घुसनेवाले ढाल पर यदि गति सीमा लिखी है तो उसका पालन करें ।
- घुसनेवाली लेन को छोड़ते समय यातायात के प्रवाह की गति को बनाये रक्खें ।
- घुसनेवाली लेन में एकदम न रुकें ।
- यातायात को आगे जाने दें और जब सुरक्षित समझें तभी प्रवेश करें ।

हाईवे, पार्कवे और टर्नपाइक से बाहर निकलना

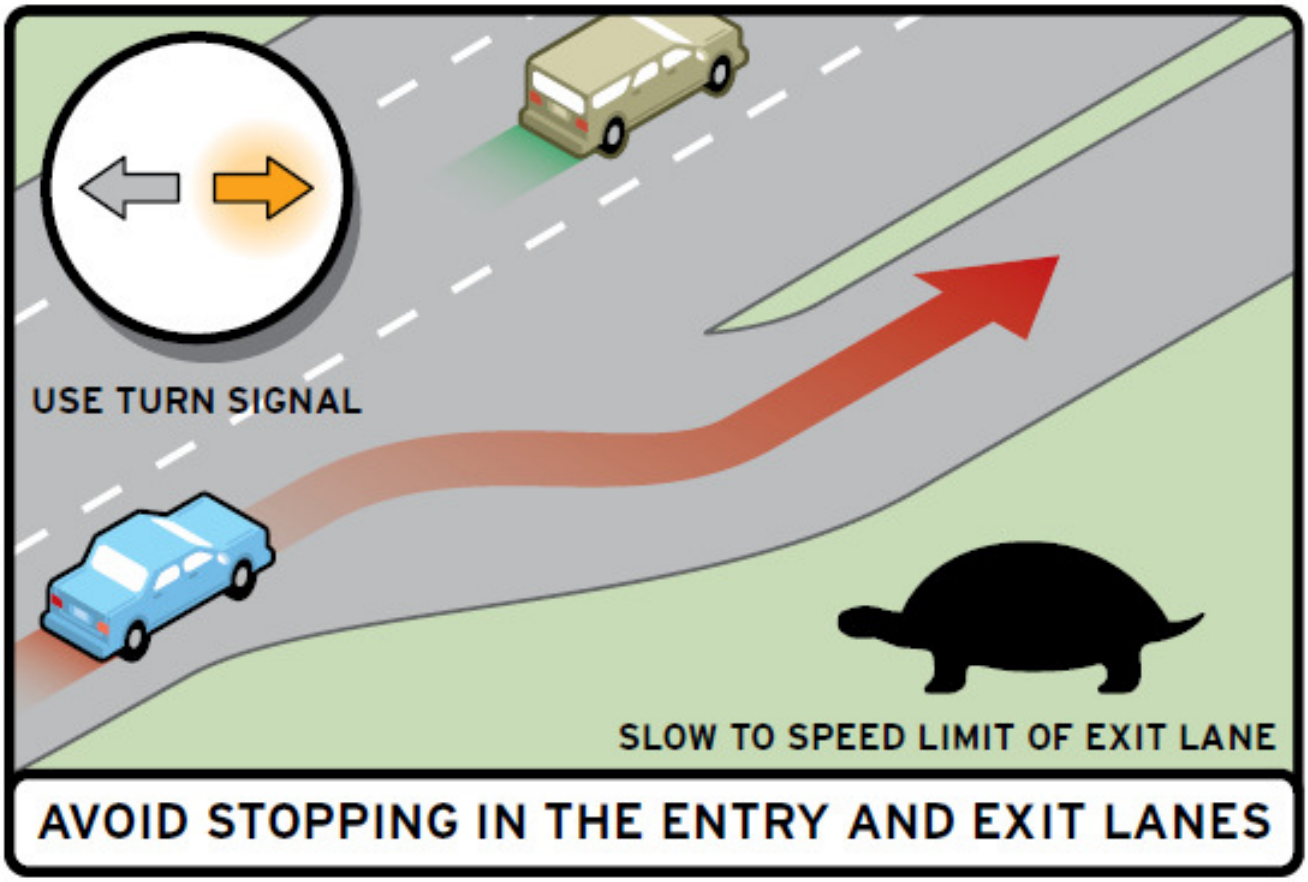

अधिकांश मामलों में ढाल से उतरने या निकलने वाली लेन जो कि हाईवे से निकलने के लिये अतिरिक्त लेन होती हैं वे सड़क के दाहिनी ओर होती हैं । चालक को सदैव उन निशानों को देखना चाहिये जो यह निर्देश करते हैं कि सड़क पर कहाँ निकलें । यदि चालक से हाईवे , पार्कवे या टर्नपाइक का एक निष्कासन (एक्जिट)ढाल छूट जाय तो उसे अगले पर निकलना चाहिये ।

हाईवे, पार्कवे और टर्नपाइक से निकलते समय निम्न बातों का ध्यान रक्खें:

- बाहर जाने वाली लेन में प्रवेश करते समय वाहन की गति धीमी कर लें ।
- बाहर निकलने वाली लेन पर लिखित गति की सीमा का पालन करें ।
- यदि एक्जिट सड़क के बायीं ओर है तो उन निशानों को देखें जो यातायात के निकलने के लिये उचित लेन का निर्देश करते हैं ।

- यदि एक एक्जिट छूट जाय तो उससे आगे वाले पर चले जायं ।
- निष्कासन ढाल या बाहर निकलने वाली लेन पर कभी वापस न हों ।

विशेष हाईवे, पार्कवे और टर्नपाइक की दशा

मिश्रित लेन

द्रुतगतिवाले मार्ग (एक्स्प्रेसवे) पर जाने और निकलने के लिये एक ही मिश्रित लेन होती है । यातायात एक्सप्रेसवे के उसी स्थान से आ और जा सकता है । इस प्रकार यातायात का मिश्रण उन दोनों में झगड़े का कारण हो सकता है एक वे वाहनचालक जो उस मिश्रित लेन का प्रयोग कर रहे हैं दूसरे वे जो एक्सप्रेसवे के प्रवेश ढाल पर हैं । वह मोटर चालक जो प्रवेश ढाल से आ रहा है उसे एक्सप्रेसवे छोड़ने वाले चालक को रास्ता देना चाहिये ।

शहरों के मध्य से हाईवे

यातायात का विस्तार नाटकीय ढंग से बढ़ सकता है , वहाँ गति को धीमा कर लें । भीड़ वाले घण्टों में टकराने के झगड़े को बचाने के लिये मोटर चालक को बायीं या मध्य वाली लेन में चलाना चाहिये । चालक को चाहिये कि निकलने के लिये पहले से ही उचित लेन में चले जाकर अपनी स्थिति सम्हाल ले ।

खराब वाहन

यदि आगे कोई खराब वाहन है तो अपने वाहन की गति कम कर लें और अपने व उस वाहन के बीच दूरी बढ़ा लें । लेन भी बदल सकते हैं । पैदल यात्री ,पुलिस के वाहन और उठाई हुई ट्रकों से सदैव सावधान रहें । यदि किसी मोटरचालक का वाहन खराब हो गया है तो:

- उसे खींचकर जितना सम्भव हो किनारे ले जायं ।
- आपातकालीन फ़्लैश लाइट जला दें ।
- हुड उठाकर सहायता के लिये संकेत दें ।
- वाहन के अन्दर ही रहें और दरवाजे बन्द कर लें ।
- यदि कोई रुकता है तो उससे फोन करके सहायता माँगने का आग्रह करें ।

- किसी अजनबी के वाहन में न जायें ।

निर्माणाधीन क्षेत्र

एक मोटरचालक को चाहिये कि निर्माण क्षेत्र के चेतावनी वाले निशानों से हमेशा सावधान रहे । ऐसे क्षेत्र से गुजरते हुए चालक को अपने वाहन की गति ठीक रखनी चाहिये और चारो ओर के वाहनों से पर्याप्त दूरी बनाये रखनी चाहिये ।

चुंगी वाला बूथ (टोल बूथ)

यह साइन देखते ही चालक को सावधान हो जाना चाहिये और वाहन की गति धीमी कर लेनी चाहिये क्योंकि वहाँ यातायात रुक सकता है । हरी बत्तियाँ या सिग्नल खुले बूथ को प्रकाशित करते हैं । चालक को ई.ज़ी. पास और तेज गति वाले ईज़ी. पास की लेन का ध्यान रखना चाहिये । बूथ से निकलते समय चालक कोचाहिये कि दोनों ओर के यातायात का ध्यान रखते हुए उसमें अपने मिलने की योग्यता को देखे और कार की गति को व्यवस्थित करते हुए सहजता से उसमें प्रवेश करे ।

मोड़

वाहन चालक के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब सड़क पर कोई मोड़ आ जाय तो स्टियरिंग और गति को ठीक से सम्हाल ले क्योंकि वाहन सीधे ही जाने का प्रयास करता है । यह उत्तम तरीका है कि किसी मोड़ में प्रवेश करने के पूर्व वाहन की गति धीमी कर लें और दूसरी लाइन में न घुसें । वाहन चालक को यह भी देखना चाहिये कि दूसरी लाइन के वाहन उसकी लाइन में तो नहीं आ रहे । आगे आनेवाले मोड़ के चेतावनी के निर्देश व मान्य गति को अवश्य देख ले ।

आन्तरिक परिवर्तन

विभक्त सड़कों के रास्ते तेज गति वाले यातायात के लिये बनाये जाते हैं । यातायात के प्रवाह को सरल अर्थात आरामदेह बनाने के लिये कोई ट्रैफिक लाइट या सीधे चौराहे नहीं होते । ऐसे एक्स्प्रेसवे में घुसने और निकलने के लिये वहाँ लगे निशानों को देख लें और लिखित गति सीमा का पालन करते हुए गोल चक्कर पर धीमी गति से चलायें ।

मुड़ने के नियम

लाल बत्ती पर दाहिने मुड़ना

यदि लाल बत्ती पर 'लाल बत्ती पर नहीं मुड़ना' (नो टर्न ओन लेफ्ट) नहीं लिखा है तो न्यू जर्सी कानून अधिकार देता है कि वाहन चालक पूर्णरूप से रुककर और यातायात का निरीक्षण करते हुए लाल बत्ती पर दाहिनी ओर मुड़ सकता है । दाहिनी ओर मुड़ने के पूर्व पदयात्रियों और सामने से आने वाले वाहनों को जाने देना चाहिये । साइकिल और मोपेड जैसे वाहन जिन्हें देखना मुश्किल होता है उनकी उपस्थिति से भी सावधान रहना चाहिये। कहीं भी मुड़ने के पूर्व कम से कम सौ फिट पहले से मुड़ने का सिग्नल देना शुरू कर दें और मुड़ने के बाद सिग्नल बन्द कर दें (न.ज. स. अ. ३९.४.१२६)

दाहिनी ओर मुड़ना (न.ज.स.अ.३९:४–१२३)

दाहिनी ओर सुरक्षित रूप से मुड़ने के लिये वाहन चालक चौराहे की ओर जितना सम्भव हो सके दूर दाहिनी ओर ही रहें । दाहिनी ओर मुड़ते हुए वाहन को गल्ती से दूसरी लेन के अन्दर या बाहर न ले जायं । रास्ता मिलने पर ही मुड़ें । मुड़ते समय गलत लेन में प्रवेश न करें ।

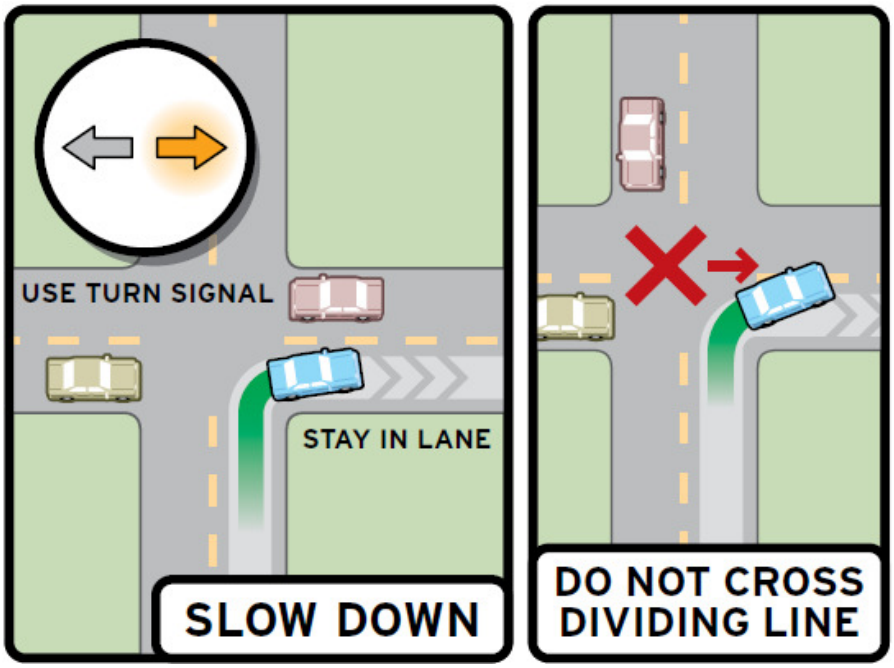

बायीं ओर मुड़ना

जब दो वाहन एक साथ चौराहे पर हों: और दोनों ने ही बायें मुड़ने का सिग्नल दिया हो तब अधिक सावधानी की जरूरत है । जब सुरक्षित हो तभी हर चालक को चौराहे के मध्य से बायीं ओर मुड़ना चाहिये ।

वनवे सड़क से दूसरी वनवे सड़क पर बायें मुड़ना: बायीं ओर की लेन में जाने के लिये चालक को सड़क के बायीं ओर की लेन से ही प्रवेश करना चाहिये ।

दोनों ओर जाने वाली सड़क से दोनों ओर जाने वाली सड़क पर बायें मुड़ना: जहाँ तक सम्भव हो सड़क के मध्य में सबसे करीब वाली लाइन में मुड़ें। मुड़ते समय लेन की रेखा को पार न करें । वाहन चालक को चाहिये कि प्रवेश करते समय वाहन को सड़क की मध्य रेखा के दाहिनी ओर ही रक्खे

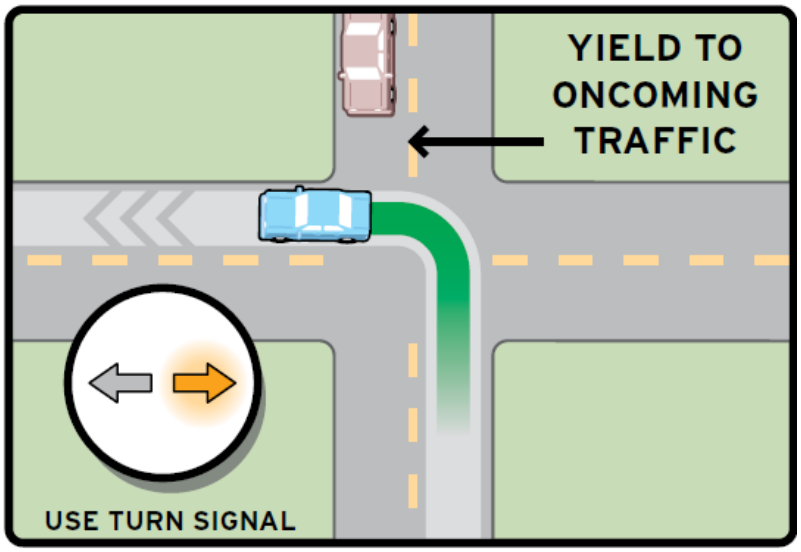

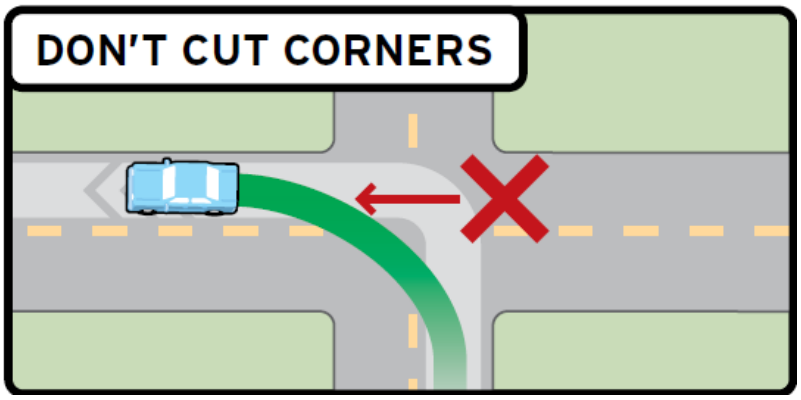

चौराहों के मध्य में बायीं ओर मुड़ना: चौराहों के बीच में बनी ठोस अविभक्त रेखा यह दर्शाती है कि कब नहीं गुजरना है , पर ये लाइने किसी व्यावसाविक या आवासीय क्षेत्र के ड्राइववे में प्रवेश करते या निकलते समय पार की जा सकती हैं ।

दो मार्गों वाली सड़क से चार लेन वाले हाईवे पर बायें मुड़ना: जहाँ तक सम्भव हो सड़क की मध्य रेखा के दाहिनी ओर की सबसे करीब वाली लेन में ही मुड़ें । चौराहे के बीच पहुँचने के पूर्व ही मुड़ जायं । यह महत्वपूर्ण है कि लेन के लिये बने हुए निशानों को पार न करें । मोटर चालक को चाहिये दूसरी सड़क के दाहिनी तरफ मध्य रेखा के सबसे करीब वाली लेन में मुड़े । यह चार लेन वाले हाईवे को पार करने वाली लेन होती है । जब यातायात आज्ञा दे तभी गुजरने वाली लेन से दाहिनी ओर आगे बढ़ें ।

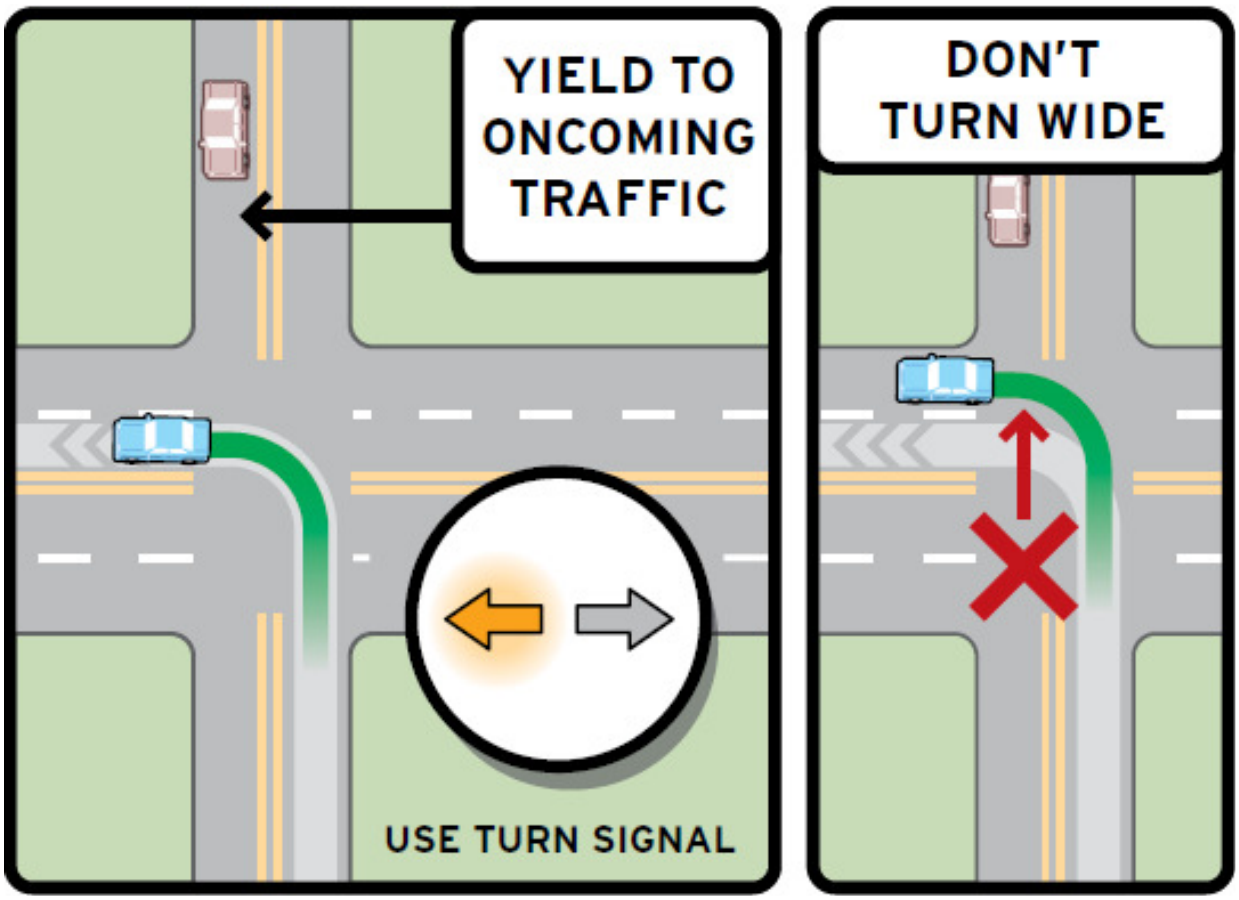

रुकने के नियम

साइन , सिग्नल और यातायात के नियम यह संकेत करते हैं कि वाहन चालक को कब रुकना चाहिये । चालक को ट्रैफिक लाइट के परिवर्तन का हमेशा ध्यान रखना चाहिये । चाहे लाइट बदलकर हरी हो रही हो तब भी उसे सावधान रहना चाहिये । हो सकता है कि दूसरे वाहन उधर से आ रहे हो या चौराहे पर खड़े हों । अधिकांश दुर्घटनाएं लाइट परिवर्तन के कुछ क्षणों बाद ही ट्रैफिक सिग्नल पर होती हैं । जब पीली बत्ती हरी बत्ती के बाद हो तो तो चालक को चौराहे पर घुसने के पहले रुक जाना चाहिये यदि लाइट बदलने के बीच ही चालक चौराहे पर पहुँच गया है तो उसे सावधानी से निकल जाना चाहिये । उसको धीमी हरी लाइट के प्रति सावधान रहना चाहिये क्योंकि वह बहुत कम समय के लिये होती है । उसके बाद उसके पीली और फिर लाल होने की प्रतीक्षा करे । वाहन की गति धीमी कर ले और उसके अनुसार रुक जाय ।

मोटरचालक को निम्न लिखित स्थितियों में रुकना चाहिये:

- ऐसा चौराहा जहाँ रुकने का निशान हो ।
- ऐसा चौराहा जहाँ लाल बत्ती हो जो जल रही हो या जल बुझ रही हो ।
- ऐसे चौराहे पर जहाँ हरी के बाद पीली बत्ती हो ।
- यातायात अधिकारी वाहन को रोकने की आज्ञा दे ।
- जहाँ यील्ड का निशान हो और सुरक्षित रूप से उसमें मिलने की स्वीकृति यातायात नहीं देता ।
- जब किसी स्कूल बस में बच्चे चढ़ या उससे उतर रहे हों और लाल बत्तियाँ चमक रही हों ।
- किसी गली, इमारत या निजी ड्राइववे से आ रहे हों ।
- उस पुल के क्षेत्र में जो नाव के यात्रियों के लिये खुलने वाला हो ।
  एक अन्धा पैदल यात्री जो सफेद या धातु की बनी छड़ी काप्रयोग कर रहाहो , या एक शिक्षित पथ प्रदर्शक कुत्ता या पथ प्रदर्शक कुत्ते का शिक्षक जो उसे सिखाने में व्यस्त हो ।
- एक पैदल यात्री जो सड़क पार कर रहा हो या चौराहे पर हो ।
- मोटर लगी व्हीलचेयर या चलित सहायक उपकरण जो सड़क पार कर रहे हों या चौराहे पर हों ।

अकेली सफेद स्टाप लाइनें यह दर्शाती हैं कि चालक को स्टाप सिग्नल या ट्रैफिक सिग्नल पर कहाँ रुकना है ।

रेल रोड क्रासिंग पर रुकना

न्यूजर्सी के यातायात विभाग और रेलरोड कम्पनियों ने एक या उससे अधिक चेतावनी वाले उपकरणों के साथ जनता के हाईवे रेलरोड क्रासिन्ग बनाये हैं । चेतावनी के उपकरणों में अग्रिम चेतावनी के निशान , रेलरोड क्रासिंग के सामने पक्के रास्ते के निशान, चमकने वाली बत्तियां, फाटक, जलती हुई बत्तियों वाले फाटक, घंटियां , और झण्डे के संकेत इसमें सम्मिलित हैं ।

एक मोटरचालक को रेलरोडक्रासिंग से, जहाँ बत्तियां चमक रही हों, घण्टियां बज रही हों या झण्डे के संकेत हों, कम से कम १५ फिट दूर रुकना चाहिये । अवरोहण वाले फाटक या वे गेट जो पहले से ही नीचे कर दिये गये हैं , जो इस बात की सूचना दे रहे हैं कि कोई गाड़ी आ रही है तो वहाँ वाहनचालक को रुक जाना चाहिये । उसे कभी भी पार करने का प्रयास नहीं करना चाहिये जब तक कि गेट ऊपर न उठ जाय और चमकनेवाली बत्तियां बुझ न जायं ।

अन्य व्यावसायिक वाहन:

कुछ वाहन जैसे स्कूल की बसें या खतरनाक पदार्थ लेजाने वाले वाहनोंको हमेशा रेलरोडक्रासिंग पर रुक जाना चाहिये । यदि उनके पीछे कोई मोटरचालक हो तो उसे भी रुकने के लिये तैयार रहना चाहिये भले ही सिग्नल किसी ट्रेन के आने का संकेत न दे रहे हों (न.ज.स.अ.३९:४–१२८) वाहनचालक को कभी भी अपना वाहन रेल की पटरी पर नही खड़े करना चाहिये यदि वाहन खड़ा हो और चालक ट्रेन को आता हुआ देख ले तो तुरन्त वहाँ से वाहन को लेकर हट जाय । किसी गाड़ी से दौड़ लगाने का प्रयास न करे । अधिकांश गाड़ियाँ जो ६० मील या उससे अधिक प्रति घण्टे की रफ्तार से चलती हैं उन्हें रुकने में एक मील से अधिक लग जाता है ।

स्कूल बसों के लिये रुकना (न.ज.स.अ.३९:४–१२८)

मोटर चालक को चमकती हुई लाल बत्ती वाली स्कूल बस के लिये रुक जाना चाहिये । राज्य के कानून के अनुसार यदि कोई दो लेन वाली सड़क या अनेक लेन वाले हाईवे पर जहाँ वे लेन किसी निजीरूप से रक्षित (प्राइवेट मेन्टेन्ड) सड़क में विभक्त हो गयी हैं वहाँ उसे पहले से कम से कम २५ फिट दूर रुक जाना चाहिये । यदि दोहरी लेन वाले हाईवे पर यात्रा कर रहा हो तो चालक को अपने वाहन की गति १० मील प्रति घण्टा कर लेनी चाहिये ।

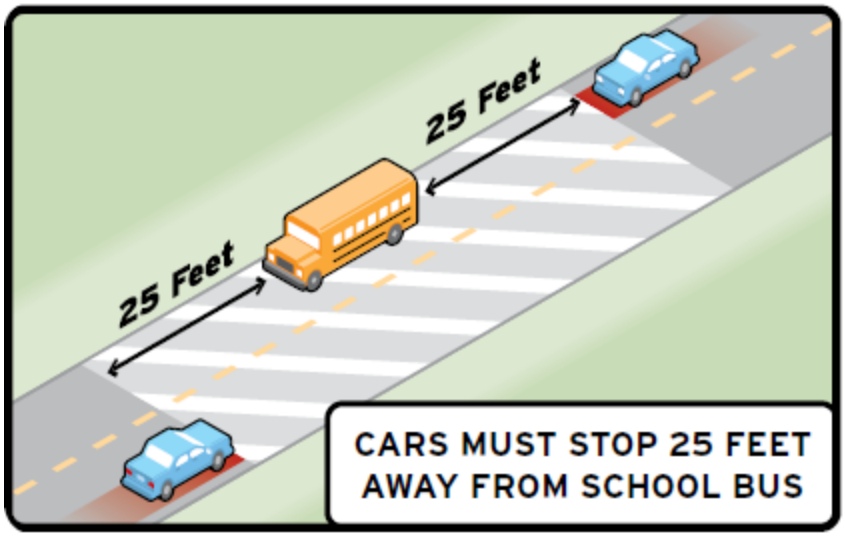

स्कूल बसें पीली और लाल चमकने वाली लाइटों से लैस रहती हैं । बस ठहरने के पहले पीली और रुकने के बाद लाल बत्ती जलती रहती है । कुछ भी हो चालक को इन लाइटों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये क्योंकि हो सकता है कि वे ठीक से काम न कर रही हों ।

जब कोई बस रुकती है तो उसके पीछे यात्रा करने वाले सभी चालकों को अपना वाहन कम से कम २५ फिट दूर रखना चाहिये । बस का सिग्नल बन्द हो जाने के बाद ही उसे आगे बढ़ना चाहिये , उसके बाद भी बच्चोंको देखते रहना चाहिये । यदि कोई स्कूल बस बच्चों को लेने या छोड़ने के लिये स्कूल के सामने रुकी है तो वाहन चालक किसी भी दिशा में १० मील प्रति घण्टे की रफ्तार से जा सकता है ।

आइस्क्रीम ट्रकों के लिये रुकना (न.ज.स.अ.३९:४–१२८.४)
यदि कोई आइस्क्रीम ट्रक किसी दिशा से आगे निकलने का प्रयास कर रहा हो और उसकी लाल बत्ती चमक रही हो और स्टाप सिग्नल भी दे रहा हो तो वाहन चालक को रुकना चाहिये ।

- यदि कोई व्यक्ति ट्रक के पास से आ या जा कर सड़क पार कर रहा हो तो उसे पहले जाने देना चाहिये ।
- बच्चों को देखकर रुकने के लिये तैयार रहना चाहिये ।
- रुककर १५ मिनट प्रति घण्टे की रफ्तार से ट्रक के पास से निकल जाना चाहिये ।

आपातकालीन वाहनों के लिये किनारे हो जाना और रुकना
न्यूजर्सी का कानून है कि उन आपातकालीन वाहनों को आगे जाने दें जिन पर सायरन बज रहा हो, और/या लाल और/या नीली आपातकालीन बत्तियाँ चमक रही हों चालक को अपना वाहन सड़क के बिल्कुल दाहिनी ओर ले जाना चाहिये और उस वाहन के निकल जाने की रुककर प्रतीक्षा करनी चाहिये । उसके बाद भी उसे अपना वाहन कम से कम ३०० फिट दूर रखना चाहिये (३९:४.९२,३९.३–५४.१२)

पुलिस की गाड़ियों, आग बुझाने वाले ट्रकों, एम्बुलेन्स या दूसरे आपातकालीन वाहनों पर सायरन और लाल बत्तियाँ होती हैं । प्राइवेट वाहन जो स्वेच्छा सैनिकों और खतरों से रक्षा करने वाली टुकड़ियों द्वारा आपत्ति में बुलाये जाने पर आते हैं वे आपातकालीन पहचान के लिये नीली बत्तियों का प्रयोग करते हैं । यदि आग विभाग का वाहन सेवा रत है तो उससे अपना वाहन २०० फिट के अन्दर न पार्क करें ।

हेड लाइटों का प्रयोग

हेड लाइट का उचित प्रयोग सुरक्षित ड्राइविंग के लिये कुशलता से होना चाहिये । हेडलाइट का प्रयोग सूर्यास्त के डेढ़ घण्टा बाद और सूर्योदय के डेढ़ घण्टा पहले करना चाहिये । इसका प्रयोग तब भी कर सकते हैं जब ५०० फिट या उससे कम दूरी पर देखने में असमर्थ हों , जब वर्षा या बर्फ गिरने के समय विन्डशील्ड वाइपर का प्रयोग हो रहा हो या जब धुन्ध ,कोहरा या धुआँ होने से दिखाई न दे रहा हो ।

कार चलाते समय साफ दिखाई देना बहुत महत्वपूर्ण है । वाहन की लाइट हमेशा साफ और काम करने की दशा में होनी चाहिये । हेड लाइट सामने से आनेवाले वाहनचालकों को देखने में सहायता करती है । जब हेडलाइट की जरूरत हो तब उसकी जगह पार्किंग या सहायक लाइट का प्रयोग कानूनी तौर पर नहीं किया जा सकता ।

तेज और धीमी लाइट

हेडलाइट में दो तरह की रोशनी होती है जो डैशबोर्ड के पास लगे बटन से नियन्त्रित होती है । तेज रोशनी उन खुले स्थानों के लिये होती है जहाँ कोई यातायात न हो । तेज रोशनी वाहन चालक को अधिक दूर तक परिधि में और विस्तृत दृष्टिकोण में देखने में सहायक होती है । रात में मोटरचालक की पुतलियाँ फैल जाती हैं जिससे देखने के लिये अधिक रोशनी की जरूरत होती है । तेज रोशनी में पुतली फैलने के कारण क्षण भर के लिये उसे अन्धा कर देती है । इस कारण यदि वाहन सामने से आ रहा हो या दूसरे वाहन के पीछे चल रहा हो तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । एक मोटरचालक को उस तेज रोशनी की चमक से मुक्ति पाने में तीन से पाँच सेकेण्ड लग जाते हैं । यदि कोई वाहन तेज रोशनी के साथ सामने से आ रहा है तो मोटरचालक को सड़क के दाहिनी ओर देखना चाहिये जब तक कि वह वाहन निकल न जाय । सामने से आने वाले वाहन चालक पर कभी भी तेज रोशनी न डालें ।

सड़क पर चलते यातायात में और शहर में ड्राइव करते समय धीमी रोशनी का प्रयोग होता है । धीमी रोशनी का प्रयोग तब होता है जब दूसरे वाहनों के पीछे चला रहे हों या सामने से कोई दूसरा वाहन आ रहा हो ।

दूसरे प्रकार की बत्तियाँ

पार्किंग लाइट: इन बत्तियों का प्रयोग बहुत कम समय के लिये होता है जैसे कोई वाहन अनुमति प्राप्त क्षेत्र में खड़ा है तो दूसरे चालक को यह दिखाने के लिये कि वाहन कहाँ खड़ा है । व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्र को छोड़कर अन्य जगहों में पार्क गाड़ियों के लिये पार्किंग लाइट की जरूरत होती है ।

पीछे की बत्तियाँ: ये बत्तियाँ भी उसी समय जलायी जाती हैं जब हेडलाइट और पार्किंग लाइट जलाई जाती है । वाहनचालक के ब्रेक लगाने पर वे अधिक तेज हो जाती हैं यह दिखाने के लिये कि वह धीमा हो रहा है या रुक रहा है । दिन के समय बिना हेडलाइट के ब्रेक लगाने पर पीछे की बत्ती जल जाती है ।

ब्रेक लाइट: जब वाहन चालक वाहन को धीमा करने या रोकने के लिये ब्रेक लगाता है तो ये लाइटें और तेज हो जाती हैं ।

अन्दर (ऊपर छत) की लाइटें: ड्राइव करते समय कार के अन्दर की लाइटों का प्रयोग जरूरत पड़ने पर बहुत कम देर के लिये करना चाहिये या जब पुलिस अफसर कार को रोक कर अन्दर की लाइट जलाने का आग्रह करे ।

डैशबोर्ड की लाइटें: यदि डैशबोर्ड की बत्तियाँ बहुत तेज हों तो वे चमक पैदा करके कार चलाने वाले को देखने में रुकावट डाल सकती हैं । लाइट को धीमा रखना चाहिये पर उनमें इतनी रोशनी हो कि चालक डायल को पढ़ सके ।

स्पाट लाइट: इस प्रकार की बत्तियों का प्रयोग आपातकाल में ही करना चाहिये । कार चलाने के लिये इस बत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

पार्किंग के नियम

कारचालक जब पार्किंग से कार निकालकर चलाता है तो उसे हमेशा यातायात का निरीक्षण कर लेना चाहिये । ड्राइवर की तरफ का दरवाजा खोलने और वाहन को निकालने के पहले यह भी देख लेना चाहिये कि कोई साइकिल या मोपेड तो नहीं है क्योंकि कई बार उन्हें देख पाना कठिन होता है । ट्रैफिक में दरवाजा खोलते समय जाते हुए वाहन से टक्कर हो सकती है । अतः यात्रियों की सुरक्षा के लिये यही उचित है कि वे पार्क वाहन को कोने की तरफ से निकालें । मोटरचालक को चाहिये कि शहर की सड़क पर पार्क करने के पूर्व पार्किंग के साइनों को पढ़ ले ताकि सीमित समय और वहाँ के प्रतिबन्धों से अवगत रहे । वाहन को कर्ब से छः इंच से अधिक दूरी पर पार्क करना गैर कानूनी है उस जगह कार कभी पार्क न करें जहाँ से यातायात रुक जाय ।

वाहन पार्क न करें (न.ज.स.अ. ३९:४–१३८)

जब तक पुलिस अफसर का आदेश न हो या किसी दुर्घटना को बचाना हो तब तक मोटरचालक को अपना वाहन निम्नलिखित स्थानों पर न रोकना चाहिये और न पार्क करना चाहिये ।

- पैदल पार पथ पर
- पैदल यात्रियों के लिये बने सुरक्षा के क्षेत्र और उससे मिले कर्ब के बीच में या सुरक्षा क्षेत्र के अन्त तक बीस फिट के अन्दर
- ठीक प्रकार से अंकित या निर्देश किये हुए निर्माणाधीन सड़क के समीप
- जनता की या प्राइवेट प्रापर्टी (निजी सम्पत्ति) की वह जगह जहाँ विकलांगों के वाहन पार्क का निशान लगा हो
- किसी अन्तर्देशीय हाईवे पर
- सड़क के किनारे पैदल पथ पर
- बस स्टाप का क्षेत्र
- किसी प्राइवेट या पब्लिक ड्राइववे के सामने
- किसी चौराहे के अन्दर
- किसी आग बुझाने वाले नल के १० फिट के अन्दर
- किसी चौराहे के पैदल पार पथ के २५ फिट के अन्दर या गली के किनारे की लाइन में या चौराहे वाले हाईवे पर सिर्फ गलियों को छोड़कर
- रेलरोड क्रासिंग के ५० फिट के अन्दर
- स्टाप साइन के ५० फिट के अन्दर
- आग बुझाने वाले स्टेशन के प्रवेश द्वार के २० फिट के अन्दर और आग बुझाने वाले स्टेशन के विपरीत सड़क पर ७५ फिट के अन्दर
- किसी पुल , सुरंग या ऊँची उठी हुई सड़क पर
- कोने में खड़े हुए वाहन के बगल (डबल पार्किंग) में
- वह क्षेत्र जहाँ म्युनिसिपल अध्यादेश द्वारा पार्किंग की मनाही हो

किसी मशीनी खराबी वा अन्य आपातकालीन स्थिति के आनेपर वाहन चालक को हाईवे के दाहिने शोल्डर पर कार को रोक कर आपातकालीन बत्तियाँ जला देनी चाहिये।

सेलुलर टेलीफोन

हाईवे या अन्य सड़कों पर वाहन चलाते हुए चालक को हाथ में लेकर प्रयोग करने वाले विद्युत उपकरणों का (जैसे सेलुलर टेलीफोन)राज्य के कानून द्वारा निषेध किया गया है । १ मार्च २००८ से सेलुलर टेलीफोन या अन्य बातचीत के उपकरण का प्रयोग मौलिक अपराध है । विशेषरूप से इस प्रकार की क्रिया के लिये वाहनचालक को कानूनन रोका जा सकता है । हस्तमुक्त सेलुलर फोन की स्वीकृति है यदि वह कार चलाने और उसकी सुरक्षा में बाधक नहीं है पर उसके प्रयोग को बढ़ावा नहीं देना चाहिये ।
हाथवाले सेलुलर फोन का प्रयोग सिर्फ कुछ आपातकालीन स्थितियों में किया जा सकता है जो निम्न लिखित हैं –

- आग लगने पर
- यातायात में कोई दुर्घटना हुई हो
- सड़क पर चिन्ताजनक घटना या खतरा हो
- रोग व चिकित्सा सम्बन्धी आपत्ति हो
- खतरनाक पदार्थ सम्बन्धी आपत्ति हो

ऊपर लिखित परिस्थितियों में वाहनचालक का एक हाथ स्टियरिंग व्हील पर और दूसरा हाथ फोन पकड़े होना चाहिये । कार चलाते हुए हाथ में पकड़े हुए फोन का प्रयोग करने के लिये चालक से उससे सम्बन्धित अधिकारी का लिखित कथन या टेलीफोन रेकार्ड माँगा जा सकता है । इस कानून को तोड़ने पर $१०० से $२५० तक का जुर्माना हो सकता है (न.ज.स.अ.३९:४–९७.३)

एक ग्रेजुएटेड ड्राइवर लाइसेन्स वाला मोटरचालक किसी भी प्रकार का सेलुलर फोन या दूसरे हाथ मे लेनेवाले विद्युत उपकरण का प्रयोग कार चलाते समय नहीं कर सकता है । ऐसा करना नियम का उल्लंघन है ।

स्कूल बस का ड्राइवर किसी प्रकार के सेलुलर फोन का प्रयोग बस चलाते समय नहीं कर सकता है सिवाय आपातकालीन स्थिति के या जब बस हाईवे से अलग किसी सुरक्षित क्षेत्र में पार्क हो ।

कूड़ा फेकना

किसी चलते हुए या पार्क किये हुए वाहन से कूड़ा फेकना गैर कानूनी है । कूड़ा सुरक्षा में बाधा डालता है और आँखों में घाव कर देता है । यदि कोई चालक वाहन से खतरनाक पदार्थों को फेंकते हुए पाया जाय तो उस पर $१००० तक का जुर्माना हो सकता है । यदि चलती हुई कार से कूड़ा फेकते हुए पाया जाय तो वाहनचालक का लाइसेन्स जब्त हो सकता है । कूड़ा करकट ले जाने वाले वाहनों को उसे ढककर ले जाना चाहिये ताकि सड़क गन्दी न हो ।

ड्राइवर लाइसेन्स

- एक कार चालक जो न्यूजर्सी राज्य में कार चलाता है उसके पास प्रमाणित ड्राइवर लाइसेन्स, प्रमाणित प्रादेशिक लाइसेन्स या न्यूजर्सी का प्रमाणित स्वीकृति पत्र होना चाहिये । उसके पास प्रमाणित बीमा और वाहन का रजिस्ट्रेशन पत्र भी होनी चाहिये ।
- एक मोटरचालक जो न्यूजर्सी का कानूनी निवासी है उसके पास वहीं का लाइसेन्स होना चाहिये ।
- यदि वाहनचालक अपना पता बदलता है तो उसे बदलने के एक सप्ताह के अन्दर उसकी सूचना एम. वी. सी. को दे देनी चाहिये । उसमें यह भी बताना है कि कौन व्यक्ति न्यूजर्सी के बाहर जा रहे हैं । यदि कोई चालक शादी , तलाक या गोद लेने के कारण नाम बदलता है तो उसे दो सप्ताह के अन्दर एम. वी. सी. को सूचना दे देनी चाहिये ।
- यदि कोई वाहनचालक न्यूजर्सी राज्य के बाहर से आता है और उसके पास वहाँ का प्रामाणिक लाइसेन्स है तो उसे ६० दिन के अन्दर तथा व्यावसायिक ड्राइवर लाइसेन्स –सी.डी.एल.–३० दिन के अन्दर अर्जी दे देनी चाहिये । न्यूजर्सी का लाइसेन्स मिलने के पहले दूसरे राज्य का लाइसेन्स दे देना जरूरी है ।
- यदि किसी विदेशी चालक के पास उस देश का प्रमाणित लाइसेन्स है तो उसे न्यूजर्सी का लाइसेन्स मिल सकता है । उसे उस देश का लाइसेन्स समर्पित नहीं करना है ।

- व्यावसायिक वाहन जैसे बड़े ट्रक, बसें और खतरनाक पदार्थ ले जाने वाले वाहन चलानेवालों की परीक्षा का स्तर कार या मोटरसाइकिल चलाने वालों से अधिक कठिन होता है । इन चालकों के सी.डी.एल. की अर्जी देने के पूर्व उनके पास न्यूजर्सी का मौलिक प्रमाणिक ड्राइवर लाइसेन्स होना जरूरी है ।
- १८ वर्ष के अन्दर की आयु वाले सभी प्रार्थियों को न्यूजर्सी के ड्राइवर लाइसेन्स के लिये अपने माता पिता या संरक्षक से स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना है ।
- न्यूजर्सी ड्राइवर लाइसेन्स के लिये सभी प्रार्थियों को अपना पूरा नाम, वर्तमान पता,सोशल सिक्योरिटी नम्बर,आई.डी.वेरिफिकेशन के ६ प्वाइन्ट व दूसरे वे लेख जो अमरीका में उसकी कानूनी उपस्थिति को फेडरल ला के अनुरूप प्रमाणित करते हों , प्रस्तुत करना चाहिये ।

न्यूजर्सी निवासियों के लिये परीक्षा की अनुमति

कोई भी न्यूजर्सी निवासी जो कम से कम १७ वर्ष का हो और जिसे कभी सस्पेन्ड नहीं किया गया है वह किसी भी एम वी सी एजेन्सी से परीक्षा का अनुमतिपत्र ले सकता है । यह पत्र विद्यार्थी के सीखने वाले अनुमतिपत्र से भिन्न है क्योंकि प्रार्थी को विद्यार्थी होना जरूरी नहीं है और न एक शिक्षक होना ।

जब प्रार्थी अपनी व्यक्तिगत सूचनाओं को भरकर फार्म दे देता है और ६ प्वाइन्ट का आई. डी वेरीफिकेशन व इस बात का प्रमाणपत्र कि अमरीका की सरकार ने उसे अपने देश में रहने का अधिकार दे दिया है वह सबसे पास के ड्राइवर टेस्टिंग सेन्टर से अनुमतिपत्र ले सकता है । मौलिक मोटरगाड़ी के लाइसेन्स के प्रार्थी को सोशल सिक्योरिटी नम्बर या आफिस से उसकी छूट का पत्र देना चाहिये । प्रार्थी जब प्रार्थित ज्ञान की परीक्षा पास कर लेता है और आँखों की जाँच करवा लेता है तब एमवीसी उसके परमिट को सप्रमाण कर देता है । यह परीक्षा फल दो वर्ष तक प्रामाणिक रहता है ।

न्यूजर्सी का सीट की पेटी का कानून

इस कानून के अनुसार वाहन की आगे की सीट पर बैठनेवाले हर यात्री के लिये पेटी बाँधना अनिवार्य है । १८ वर्ष से कम सभी यात्रियों के लिये वाहनचालक उत्तरदायी है । आगे की सीट पर बैठने वाले १८ वर्ष या उससे अधिक आयु के यात्री स्वयं उत्तरदायी हैं। जीडीएल परमिट वाले या अनुबन्धित लाइसेन्स वाले वाहनचालकों को सीट बेल्ट लगानी जरूरी है । इसके अलावा सभी यात्री चाहे कहीं बैठे हों सीट बेल्ट लगानी चाहिये । उपरोक्त कानून को तोड़ने पर पुलिस अफसर वाहनचालक को रोक सकता है यद्यपि पीछे की सीट पर पेटी बाँधना कानूनी तौर पर जरूरी नहीं है फिर भी सुरक्षा के लिये बाँध लेनी चाहिये इससे यात्रा करते हुए दुर्घटना होने पर ६० प्रतिशत बचने का चान्स बढ़ जाता है व गम्भीर रूप से घायल होने और तत्काल मृत्यु की सम्भावना कम हो जाती है। यदि वह कन्धे और कमर दोनों की पेटियाँ बाँधे है तो टक्कर होने पर बचने की सम्भावना तीन या चार गुनी बढ़ जाती है । सीट बेल्ट कई प्रकार से सहायता करती है, उदाहरणस्वरूप:

- टक्कर होने पर चालक और यात्री वाहन से बाहर गिरते नहीं जिससे चोट लगने की सम्भावना कम हो जाती है ।
- अचानक कार के रुक जाने या उलट जाने पर कन्धे व कमर की पेटी चालक/यात्री को अपनी सीट से खसकने से बचाती है जिससे चालक का वाहन पर नियन्त्रण रहता है ।

बच्चे की कार सीट

बहुत प्रकार की व अनेक डिजाइन की बच्चों की सीट होती हैं । एक शिशु की कार सीट २० पौन्ड और २६ इंच तक के बच्चे की रक्षा कर सकती है । उसे वाहन में पीछे की ओर मुँह करके रखना चाहिये । परिवर्तित होने वाली सीट अधिक बड़ी सीट होती है जो शिशु व घुटने चलने वाले बच्चे के लिये जो ४० पौन्ड और लम्बाई में ४० इंच तक के हों उनके लिये प्रयुक्त हो सकती है । जब बच्चा कम से कम १७ पौन्ड का हो और बिना सहायता के अच्छी तरह से बैठ सकता हो तब सीट को ऊपर की ओर करके उसका मुँह वाहन के सामने की तरफ रख सकते हैं जहाँ तक सम्भाव हो बच्चे की कार सीट को पीछे की सीट पर ही रक्खें । यदि कोई मोटरचालक नवजात शिशु को कार में लेकर जा रहा हो और उसमें पिछली सीट न हो तो आगे की सीट को जितना सम्भव हो

डैशबोर्ड से पीछे खिसका लें और बच्चे को उसकी लम्बाई व वजन के हिसाब से ठीक तरह से पेटी से बाँध दें । शिशु की पीछे मुँह वाली सुरक्षा सीट को कभी भी आगे की एयर बैग वाली यात्री सीट पर न रक्खें ।

यातायात के सिग्नल और सड़क पर बने निशान

यातायात के संकेत, सिग्नल और सड़क पर बने निशान यातायात के प्रवाह को नियन्त्रित करने के लिये व गलियों, सड़कों और हाईवे पर चलनेवाले मोटरचालकों, साइकिल चलाने वालों एवं पदयात्रियों की सुरक्षा के लिये बनाये गये हैं एक कुशल चालक सदैव उन्हें अच्छी तरह देखकर उनका पालन करता है । बहुत ज्यादा ट्रैफिक या आपात्कालीन स्थित में पुलिस अफसर यातायात को निर्देश दे सकता है वह सिग्नल के विरुद्ध भी आदेश दे सकता है जिन्हें मानना आवश्यक है ।

ट्रैफिक सिग्नल

यदि ट्रैफिक सिग्नल लम्बे रूप में लटके हों तो उनकी लाल बत्ती हमेशा सबसे ऊपर होती है । पीली बीच में और हरी तीसरी लाइन में होती है । यदि हरा तीर बना हो तो वह सबसे नीचे होता है । यदि लाइट समतल हो तो लाल बत्ती हमेशा बायीं तरफ होती है ।

लाल बत्ती

किसी चौराहे पर या पैदल पार करने वाले स्थान पर लाल बत्ती हो तो वाहन चालक को बत्ती के हरी हो जाने तक वहाँ रुकना चाहिये ।

पीली बत्ती

पीली बत्ती का अर्थ है कि अब लाइट हरी से लाल में बदलने जा रही है अतः चालक सुरक्षित रूप से रुक सके ।

हरी बत्ती

हरी बत्ती होने पर चालक बिना रुके चौराहा पार कर सकता है । फिर भी उसे दाहिने और बायें मुड़ते हुए पैदल यात्रियों व वाहनों को चौराहे पर पहिले जाने देना चाहिये । बायीं ओर मुड़ते हुए सामने से आने वाले वाहनों को पहिले रास्ता दें ।

चमकनेवाली पीली बत्ती

चमकनेवाली पीली बत्ती होने पर धीमे हो जायं और ध्यान से आगे बढ़ें ।

चमकने वाली लाल बत्ती

चमकने वाली लाल बत्ती पर रुक जायं, यातायात व पदयात्रियों को पहिले जाने दें फिर सुरक्षित होने पर आगे बढ़ें ।

रोड टेस्ट

जब कोई प्रार्थी रोड टेस्ट के लिये जाता है तो एमवीसी का परीक्षक उसके साथ उसकी कार में बैठकर जाता है यह निश्चय करने के लिये कि प्रार्थी को सड़क पर वाहन चलाने के नियमों का पता है या नहीं और वह सुरक्षित रूप से गाड़ी चला सकता है या नहीं । यदि प्रार्थी के वाहन का ट्रासमिशन ठीक है तो परीक्षक उससे ठीक से वाहन चलाकर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिये कह सकता है । यदि प्रार्थी रोडटेस्ट पास कर लेता है तो परीक्षक उसे लाइसेन्स का अधिकार दे देता है । एक सफल प्रार्थी को एमवीसी क्लास डी बेसिक ड्राइवर लाइसेन्स या क्लास ई मोटरसाइकिल के लिये अनुबन्धित ड्राइवर लाइसेन्स दे देता है यदि प्रार्थी को वहाँ या किसी अन्य राज्य में लाइसेन्स नहीं मिला है । एमवीसी दो वर्ष तक उसकी वाहन चलाने की आदत को निर्देशित करता रहता है । यदि प्रार्थी परीक्षा में असफल रहा तो कम से कम दो सप्ताह बाद ही दुबारा परीक्षा दे सकता है । दुबारा टेस्ट देने के लिये किसी भी डीटीसी में स्वयं जा सकता है या ओनलाइन तारीख ले सकता है । कई बार फेल होने पर दुबारा रोडटेस्ट में बैठने के लिये छः महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ।

अस्वीकारता का कारण

अधिकांश प्रार्थी यही सोचते हैं कि रोडटेस्ट में परीक्षक केवल कार चलाने के कार्य सम्पादन को देखता है पर ऐसा नहीं है । वाहन भी उनकी असफलता का कारण हो सकता है । कुछ लाइसेन्स लेने के लिये गये हुए प्रार्थियों को रोडटेस्ट देने का अवसर ही नहीं मिलता क्योंकि परीक्षक की दृष्टि में उनका वाहन टेस्ट के लिये अनुपयुक्त व असुरक्षित होता है । कुछ ऐसे निम्नलिखित कारण हैं जिनसे एमवीसी वाहन को रोडटेस्ट के लिये अस्वीकार कर देता है ।

- जिन पर अनुपयुक्त, बिना जाँच का और अवधि समाप्ति वाला स्टिकर लगा हो ।
- परीक्षक की दृष्टि में पैर के ब्रेक और पार्किंग ब्रेक ठीक से काम न कर रहे हों
- परीक्षा के लिये प्रयुक्त वाहन में ऐसी खराबी जो सुरक्षा में बाधक हो , जैसे – फूट ब्रेक व पार्किंग ब्रेक काम न कर रहे हों ।
- टायर चिकने या फटे हुए हों ।
- वाहन अन्दर से साफ न हो ।
- वाहन जाँच में फेल हो गया हो और चालक उसकी रिपोर्ट जाँच स्टेशन से न लाया हो ।
- जब सड़क बर्फ से ढकी हो और वाहन में स्नो टायर या रेडियल टायर न लगे हों।
- ऐसा व्यर्थ का तेज इंजन जिससे गति नियन्त्रण जाना न जा सके ।
- वह वाहन जिसमें सीट बेल्ट न लगी हो ।

शराब का प्रभाव

शराब एक ऐसी दवा है जो ड्राइविंग की योग्यता को सब ओर से प्रभावित करती है । वह उसे वाहनचालक को जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी और स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ बना देती है । पीने पर वह अधिक गल्तियां कर सकता है । यद्यपि वह सोचता है कि कानून द्वारा निर्धारित नशे से नीचे स्तर पर है फिर भी ड्राइविंग पर असर होता है । थोड़ी भी शराब पीकर कार चलाने से दुर्घटना के चान्स ज्यादा हो जाते हैं अतः कभी भी शराब पीकर ड्राइविंग न करें ।

नशे की हालत में इन्द्रियां और न्याय शक्ति काम नहीं करती जिससे संतुलन बिगड़ जाता है। दृष्टि पर असर होने से दूरी का अन्दाज नहीं लगता और सुरक्षित रूप से गाड़ी नहीं

चला पाता । नशा समय से उतरता है । ९० प्रतिशत लिवर जला देता है और १० प्रतिशत पेशाब , पसीना और साँस से निकल जाता है । अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि शराब और क्रोध का मिश्रण ही आक्रामक व उद्दण्ड ड्राइविंग के लिये उत्तरदायी है जिसके परिणामस्वरूप हाईवे पर इतनी भयानक दुर्घटनाएं होती हैं । अधिकांश नशे से सम्बन्धित दुर्घटनायें एक ही वाहन से होती हैं पर अक्सर उससे दूसरे वाहनचालक , यात्री या पैदल चलनेवाले गम्भीररूप से घायल होते है या मर जाते हैं ।

कितना बहुत है?

शराब का नशा शरीर में कितना है इसका पता वैज्ञानिक रूप से रक्त की जाँच से हो सकता है । एक सरल सा साँस का टेस्ट जिसे बीएसी कहते हैं वह चार तथ्यों से जाना जाता है:

- कितनी मात्रा में शराब पी है
- वजन कितना है
- कितनी जल्दी पी है
- क्या खाना खाया है ।

दुर्घटनायें बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि शराब पीकर गाड़ी चलायी ही न जाय ।

न्यूजर्सी में कोई भी व्यक्ति जो २१वर्ष या उससे अधिक का है और जिसका बीएसी .०८ या उससे अधिक प्रतिशत है उसे ड्राइव करना गैरकानूनी है । २१ वर्ष से कम आयु के जिनका बीएसी .०१ प्रतिशत या उससे अधिक है तो गैरकानूनी है । कानून तोड़ने वालों पर डीयूआई/डीडबल्यूआई के जुर्माने के अलावा और भी भारी जुर्माना हो सकता है । यदि किसी चालक का बीएसी .०५ प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो कार दुर्घटना का चान्स दुगना हो जाता है । बीएसी .१० प्रतिशत होने पर खतरा छः गुना बढ़ जाता है और बीएसी .१५ प्रतिशत होने पर पच्चीस गुना बढ़ जाता है ।

राज्य के कानून के अनुसार यदि कोई साँस का टेस्ट देने से मना करता है तो उसका पहला अपराध .०८ प्रतिशत बीएसी के साथ ड्राइव करने के बराबर होगा । दोनो का दण्ड यही होगा कि उन्हें सात महीने से लेकर एक वर्ष तक ड्राइविंग से वंचित कर दिया जायेगा यह जज के आदेश पर निर्भर होगा कि वह दण्ड एक साथ होगा या टुकड़ों में ।

न्यूजर्सी में जो वाहवचालक साँस का टेस्ट देने से मना करेगा उसे एमवीसी इन्स्योरेन्स सरचार्ज $१०००प्रति वर्ष तीन साल तक देना होगा। देने में असमर्थ होने पर उससे ड्राइविंग का अधिकार ले लिया जायेगा जब तक वह दण्ड नहीं भरता।

यह याद रखना चाहिये कि यह कोई मायने नहीं रखता कि कौन सी शराब पी है। एक बियर में वही नशा है जो व्हिस्की और वाइन में है। उदाहरण के लिये डेढ़ औन्स ८०–प्रूफ व्हिस्की, १२ औन्स बियर या ५औन्स वाइन में बराबर नशा है : आधा औन्स शराब एक ड्रिन्क में होती है। गिरफ्तार होने वालों में अधिकांश बियर पीकर चलाने वाले होते हैं। पीकर चलाने को बचाने के लिये अपना निजी ड्राइवर रखें , पब्लिक परिवहन का प्रयोग करें या टैक्सी बुला लें।

पीना और चलाना

शराब पीना वाहनचालक के विचारों को प्रभावित करता है । उसमें झूठी भावना पैदा करता है कि वह जो चाहे कर सकता है । पीने वालों के भेद निम्न लिखित रूप से पता लगते हैं:

- शराबी ड्राइवर अक्सर यह सोचता है कि तेज गति ही सुरक्षित है ।
- यद्यपि नशे में भरा चालक सही लेन में खड़ा हो पर सीधे चलाना समस्या हो सकती है ।
- नशे में चालक अधिक सावधान होने से यातायात के सामान्य प्रवाह से धीमे चला सकता है ।
- नशे में चालक साफ सड़क पर भी झटके दे सकता है ।
- नशे में ड्राइवर ट्रैफिक सिग्नल या लाइट पर अचानक रोक सकता है ।

अच्छे मेजबान और शराबी अतिथि

यदि पार्टी में किसी ने अधिक शराब पी ली है तो उसे ड्राइव न करने दें । यदि उसके जाने के लिये दूसरा साधन नहीं है तो उसे अपने घर में ही सुला लें । यदि वह जाता है तो पुलिस को सूचना दे दें क्योंकि पार्टी के बाद यदि वह रास्ते में गाड़ी लड़ा दे तो मेजबान भी कानूनी तौर पर उसमें फँस सकता है ।

गैरकानूनी दवा और ड्राइविंग

न्यूजर्सी परिवहन के नियम के अनुसार कोई गैरकानूनी दवा के प्रभाव में कार चलाना कानून के विरुद्ध है । निर्देशित औषधि की बोतल पर लगे लेबल में दवा खाने के बाद के असर का उल्लेख होता है । अतः ड्राइविंग करने के पहले नींद लानेवाली या भ्रम पैदा करने वाली दवा न लें । काउन्टर पर मिलने वाली दवा के बारे में उसमें कुशल व्यक्ति से पूछ लें । शराब को कभी किसी दवा में न मिलायें ।

शराब के बाद मेरिउआना ऐसा ड्रग है जिसे लेकर ड्राइवर टक्कर मार देते हैं । यह वाहनचालकों पर निम्नलिखित रूप से प्रभाव डालती है:

- पथ को जानने की योग्यता समाप्त कर देती है जिससे चालक यह नहीं समझ पाता कि किस लेन में चलना है ।
- दूरी का ज्ञान नहीं रहता ,दूसरी कार बहुत पास होने से समस्या हो सकती है ।
- चालक वाहन चलाते समय सावधान नहीं रहता ।
- ध्यान बट जाने से यातायात . सड़क,मौसम , यात्री , दूसरे वाहनों से दूरी आदि की ओर ध्यान नहीं जाता ।

अधिक शराब पीने वालों का नशा खाना खाने से नहीं उतरता । उनके लिये अच्छा यही है कि एक ड्राइवर नियुक्त करलें अथवा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट का प्रयोग करें या टैक्सी में जायें।

स्वस्थ ड्राइविंग

कोई भी बीमारी गाड़ी चलाने में बाधक हो सकती है । छोटी बीमारी जैसे गर्दन अकड़ना, खाँसी होना या घुटनों व पैरों में दर्द होना आदि होने पर यदि अपने को स्वस्थ अनुभव नहीं कर रहे हैं तो किसी और से ड्राइव करवाना चाहिये ।

दृष्टि

सुरक्षित ड्राइविंग के लिये दृष्टि का ठीक होना बहुत जरूरी है । वाहन का चलाना चालक के देखने पर निर्भर होता है । राज्य का कानून एमवीसी को १०प्रतिशत कार चलाने वाले लोगों को प्रति वर्ष दुबारा टेस्ट की स्वीकृति देता है । हर वाहन चालक को एक या दो वर्ष में आँख टेस्ट करा लेनी चाहिये । यदि ४० वर्ष से ऊपर के हों तो विशेष समस्याओं के लिये हर साल करा लेना चाहिये ।

गाड़ी का टाइटिल और रजिस्ट्रेशन

न्यूजर्सी के निवासी जो नयी या इस्तेमाल की हुई गाड़ी खरीदते हैं उन्हें गाड़ी का टाइटिल, रजिस्ट्रेशन और इन्श्योरेन्स जरूर करवा लेना चाहिये । यदि कोई दूसरी जगह से न्यूजर्सी राज्य में आता है तो उसे ६० दिन के अन्दर वाहन का टाइटिल व रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिये और यदि उसका दूसरे राज्य का रजिस्त्रेशन समाप्त हो गया है तो

उससे पहले ही करवा लेना जरूरी है । यदि गाड़ी के मालिक का नाम या किसी अन्य को मालिक के नाम पर कार चलाने का अधिकार मिला हुआ है उसे एमवीसी एजेन्सी में जाकर अपने नाम कार करवा लेना चाहिये । नये वाहन का प्रारम्भिक रजिस्ट्रेशन चार वर्ष तक वैध रहता है । अन्य दूसरे सभी रजिस्ट्रेशन एक वर्ष के लिये प्रतिरूप से वैध होते हैं।

नये वाहनों नाम लेख (टाइटिल)

- जहाँ से कार खरीदी गयी हो उसके विक्रेता से नामलेख प्राप्त किया जा सकता है।
- उसका प्रमाणपत्र किसी भी एमवीसी एजेन्सी से प्राप्त किया जा सकता है । मालिक को माँगी हुई फ़ीस देनी होती है ।

यदि विक्रेता न्यूजर्सी का विक्रय कर जमा करने का अधिकारी नहीं है तो खरीदार को नामलेख के समय विक्रय कर दे देना चाहिये ।

पुराने वाहनों का नामलेख

- खरीदार का नाम, पता, बेचने की तारीख, गाड़ी कितने मील चली है, बेचने की कीमत, खरीदने वाले के हस्ताक्षर, बेचने वाले की पूरी सूचना और हस्ताक्षर नामलेख के उल्टी तरफ पूरी भर देनी चाहिये ।
- हस्ताक्षर किया हुआ नामलेख मांगी हुई फीस के साथ जमा करना चाहिये ।
- खरीदार को क्रय मूल्य के साथ विक्रय कर वाहन के लेखपत्र के समय देना चाहिये।

यदि टाइटिल खो जाय या चोरी हो जाय

यदि टाइटिल खो जाय या चोरी हो जाय दूसरा किसी भी एमवीसी एजेन्सी से या २५ डालर फीस देकर मेल से मँगवाया जा सकता है । लेखपत्र के मालिक (जिसका नाम उस पर हो) को निम्न अभिलेखों की जरूरत होगी:

- मालकियत के दूसरे प्रमाणपत्र की भरी हुई अर्जी

- वाहन का वर्तमान रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र या इन्श्योरेन्स पहचानपत्र
- यदि किसी ने वाहन की अर्थ व्यवथा की है तो उससे रेहन से छुटकारा लें

प्रारम्भिक रजिस्ट्रेशन को कैसे पूरा करें

- न्यूजर्सी वाहन रजिस्ट्रेशन की अर्जी (बीए–४९)किसी भी एमवीसी एजेन्सी पर भरें। उस पर वाहन की वर्तमान इन्श्योरेन्स कम्पनी का नाम और पालिसी नम्बर लिखें ।
- वाहन की मालकियत का प्रमाण दिखायें । नये वाहन के लिये उसके निर्माता का व विक्रेता के विक्रय का प्रमाणपत्र ही प्रमाण होता है । यदि कोई पहले उसका मालिक रहा है तो उसका हस्ताक्षर किया हुआ नामलेख ही प्रमाण होता है । लीज वाले वाहन को लीजिंग कम्पनी से पावर ओफ एटार्नी लेनी होती है । राज्य के बाहर के वाहनों को, यदि वे लीज पर हैं या किसी ने उनकी अर्थ व्यवस्था की है तो उन्हें लीज कम्पनी या अर्थ व्यवस्था करने वाले से वास्तविक नामलेख लेना होता है ।
- विक्रय कर अदा करने का प्रमाण दिखायें या एजेन्सी को टैक्स दें ।

न्यूजर्सी के वाहनचालक को वाहन रजिस्टर कराते समय कम से कम १७ वर्ष का होना चाहिये ।

रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण

सालाना रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त होने के ६० दिन पहले एमवीसी उसके नवीनीकरण का नोटिस भेज देता है । यदि उसका फार्म डाक में नहीं मिलता है तो यह काम स्वयं एमवीसी एजेन्सी में जाकर किया जा सकता है या दुबारा डाक से भेजने की प्रार्थना की जा सकती है । यह वाहनचालक का उत्तरदायित्व है कि रजिस्ट्रेशन को वर्तमान रखे । बिना रजिट्रेशन के गाड़ी चलाने पर जुर्माना हो सकता है । यह कार्य शीघ्रता और सरलता से फोन पर या वेब. पर २४ घण्टे हो सकता है ।

- टोल फ्री नम्बर – (८७७) ३६८–६५४८
- ओन लाइन डब्लू डब्लू डब्लू.एनजीमवीसी.जीओवी.

दोनों के लिये पहले से छपा हुआ रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल पिन के साथ, वैध इश्योरेन्स पहचानपत्र और क्रेडिट कार्ड जरूरी है । पिन एक सुरक्षितरूप है । यदि पहले से छपा फार्म खो जाय तो चालक फोन या ओनलाइन रिन्यू नहीं करवा सकता । यदि डाक द्वारा नवीनीकरण कराना है तो फार्म को चेक या मनीआर्डर के साथ एमवीसी को डाक से भेज दें ।

रजिस्ट्रेशन या टाइटिल में सुधार

रजिस्ट्रेशन या टाइटिल में सुधार एमवीसी एजेन्सी या रीजनल सर्विस सेन्टर में हो सकते हैं।

लाइसेन्स प्लेट

(एन.जे.एस.ए.३९:३–३३)
मोटरचालक को अपने वाहन का रजिट्रेशन कराने पर दो समान लाइसेन्स प्लेट मिलती हैं। ट्रेलर, मोपेड या मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन कराने पर एक प्लेट मिलती है । यात्री वाहनों को एक प्लेट वाहन के आगे की तरफ लगानी चाहिये और दूसरी पीछे की तरफ कम से कम १२ इंच लेकिन जमीन से ४८ इंच से कम ऊँचाई पर हो । दोनो प्लेटें साफ और दिखाई देने योग्य हों । पीछे की प्लेट पर रोशनी हो ताकि रात मे ५० फिट की दूरी से देखा जा सके, भले ही प्रतिबिम्बित करने वाली प्लेट हों (एन.जे.एस.ए. ३९:३–४८ब)। यदि लाइसेन्स प्लेट का कोई अक्षर या नम्बर उसके होल्डर से छिप गया है तो यह कानून का उल्लंघन है और इसके लिये $१०० जुर्माना है ।

लाइसेन्स प्लेट के बारे में तथ्य

- यदि लाइसेन्स प्लेट खो जाय या चोरी हो जाय तो उसकी रिपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन पर कर दें और उसकी एक कापी अपने पास रखें ।
- खोयी या टूटी हुई प्लेट को २४ घण्टे के अन्दर किसी एमवीसी एजेन्सी से पुनः प्राप्त करें और पुरानी प्लेटों को उसमें या किसी भी एमवीसी एजेन्सी में वापस करें या डाक द्वारा एमवीसी , पी.ओ.बोक्स४०३,ट्रेन्टन न्यूजर्सी ०८६६६–०४०३ पर वापस भेजें ।
- प्लेटों को अपने नये वाहन पर बदलें । अधिकांश प्लेटें अन्तरणीय होती हैं । यदि कोई मोटरचालक अपना वाहन बेचता है और दूसरे वाहन पर अपनी प्लेट स्थान्तरित नहीं करता है तो उन्हें किसी भी एमवीसी एजेन्सी पर देकर रसीद ले ले और उसे सुरक्षित स्थान पर रख दे ।
- अपनी व्यक्तिगत प्लेटों की सूचना किसी भी एमवीसी एजेन्सी से प्राप्त की जा सकती है ।
- वाहन चालक को अपने वाहन पर वैध प्लेट ही लगानी चाहिये । गलत या जाली प्लेट लगाने पर $५०० तक का जुर्माना, ६० दिन तक की जेल या ६ महीने के लिये लाइसेन्स जब्त हो सकता है ।
- यदि कोई वाहन चालक अपने वाहन का इन्श्योरेन्स समाप्त करता है तो उसे प्लेट एमवीसी को वापस कर देनी चाहिये ।

विकलांगों की प्लेट / घोषणापत्र

विकलांगों की लाइसेन्स प्लेटें और पीछे देखने के शीशे का विज्ञापनपत्र विकलांग व्यक्तियों को बिना कोई पैसा दिये उपलब्ध होते हैं जिससे विशेष रूप से उनके लिये बनी जगहों पर वाहन पार्क कर सकें ।

- उनको इसके लिये प्रार्थना पत्र ओनलाइन डब्लूड्ब्लूड्ब्लू.एनजे एमवीसी.जीओवी या (८८८)४८६–३३३९(टोलफ्रीन्यूजर्सीमें)या (६०९)२९२–६५००(राज्य के बाहर) फोन पर प्रार्थना कर सकते हैं । यह प्रार्थनापत्र किसी भी एमवीसी एजेन्सी पर एफ ए ओ ,निर्देश और एक चेकलिस्ट्के साथ मिल जायेगा जो उसे अर्जी भरने में सहायता करेगा ।

- जो उसमें योग्य होंगे वे अर्जी का पार्ट १ भरेंगे और उनका डाक्टर दूसरा पार्ट भरेगा जो कानून के अनुसार योग्यता को प्रमाणित कर सकेगा। उसके बाद अर्जी को एमवीसी को डाक द्वारा भेज दें।
- जो व्यक्ति इसके योग्य प्रमाणित होता है उसे प्लेट व विज्ञापनपत्र का एक सेट मिल जाता है।

अस्थायी विज्ञापनपत्र प्राप्त करना:

- मोटरचालक जहाँ रहता है वहाँ की म्युनिसिपेलिटी के पुलिस चीफ से अर्जी प्राप्त करे।
- उसका डाक्टर विज्ञापनपत्र की जरूरत को प्रमाणित करे
- भरी हुई अर्जी पुलिस विभाग को मोटर वेहिकिल कमीशन के नाम ऽ४ की फीस देकर दे दे।
- फीस जमा करने पर पुलिस विभाग अस्थायी विज्ञापनपत्र दे देगा।
- वह अस्थायी पत्र ६ महीने तक वैध रहता है , जरूरत पड़ने पर और ६ महीने के लिये बढ़ाया जा सकता है।

जब भी वाहन को पार्क करे तो विकलांग विज्ञापनपत्र पीछे शीशे पर लगा होना चाहिये। जब गाड़ी चलायें तब उसे निकाल देना चाहिये।

लाइसेन्स प्लेट और विज्ञापनपत्र एक पहचानपत्र के साथ उसके उपयुक्त व्यक्ति को दिया जाता है जिसे केवल वही व्यक्ति प्रयोग कर सकता है जिसका नाम पहचानपत्र पर है। यह कार्ड किसी दूसरे के नाम नहीं हो सकता। इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने पर उसका लाइसेन्स, विज्ञापनपत्र और पहचानपत्र सभी नष्ट कर दिये जायेंगे।

इसके उपयुक्त व्यक्ति की मृत्यु पर ये सभी चीजें किसी भी एमवीसी एजेन्सी पर दे देनी चाहिये या डाक द्वारा एमवीसी ओफिस ओफ कस्टमर एडवोकेसी, पी ओ. बाक्स ४०३ ट्रेन्टन न्यूजर्सी ०८६६६–०४०३ के पते पर कारण स्पष्ट करते हुए पत्र के साथ भेज देना चाहिये।

विकलांगों की प्लेट या विज्ञापनपत्र की जालसाजी या उसका दुरुपयोग सहन नहीं किया जायेगा। प्रार्थी और उसे प्रमाणित करने वाले डाक्टर के लिये यह जानना बहुत जरूरी है कि न्यूजर्सी कानून के अनुसार झूठी बात कहना या अर्जी पर गलत सूचनाएं भरकर विकलांगता की प्लेट व पत्र के लिये रसीद प्रस्तुत करना चौथी डिग्री का अपराध है। इस प्रकार का अपराध करने वाले को $१००००तक का जुर्माना और १८ महीने तक की जेल हो सकती है।

वाहन की जाँच

नये वाहनों को छोड़कर सभी पेट्रोल से चलने वाले वाहन जो न्यूजर्सी में रजिस्टर हैं, उन्हें हर दो साल में राज्य की सुरक्षा और उत्सर्जन (एमिशन) की जाँच स्टेट इन्स्पेक्शन फेसिलिटी या लाइसेन्स मिली हुई निजी इन्स्पेक्शन फ़ेसिलिटी में करवा लेनी चाहिये।

नये पेट्रोल वाले वाहनों को जब वे रजिस्टर हुए हैं तब से चार साल के बाद एमवीसी जाँच करानी चाहिये। एमवीसी डीजल से चलने वाली यात्री गाड़ियों की और जो ट्रक १०००० पौन्ड से कम के रजिस्टर हैं उनकी केवल सुरक्षा के लिये जाँच करती है, लेकिन ऐसे वाहनों की जाँच एमवीसी किसी भी समय सड़क पर कर सकती है। जाँच के उपयुक्त होने के लिये मोटरचालक को अपना वैध ड्राइवर लाइसेन्स, वैध न्यूजर्सी का रजिस्ट्रेशन और इन्योरेन्स के लेखपत्र लेकर राज्य के जाँच स्टेशन या राज्य से मिले हुए लाइसेन्स वाले प्राइवेट जाँच स्टेशन पर जाँच के लिये जाना चाहिये। दूसरे राज्य से आये वाहनचालक को अपने वाहन की जाँच रजिस्ट्रेशन के १४ दिन के अन्दर करवा लेनी चाहिये। इसकी पूरी जानकारी के लिये फोन नम्बर –१८८८–एनजे मओटीओआर (१८८८–६५६–६८६७) पर या डब्लूडब्लूडब्लू.एनजे एमवीसी–जीओवी. पर सम्पर्क कर सकते हैं। जिन वाहनों पर अवधि समाप्ति के दो महीने के अन्दर का स्टिकर लगा है उनकी जाँच केन्द्रीय जाँच विभाग (सीआईएफ) में होगी।

वाहन के जाँच में पास हो जाने के बाद इन्स्पेक्टर विन्डशील्ड के नीचे की तरफ बायें कोने में एक नया स्वीकृत प्रमाणपत्र लगा देगा जिस पर उसकी अवधि

समाप्ति की तारीख लिखी होगी । उस जगह कोई दूसरा स्टिकर नहीं लग सकता जब तक एमवीसी चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर उसकी स्वीकृति न दे ।

जाँच की अवधि समाप्त होने के बाद वाहन चलाने पर $१०० से $२०० तक का जुर्माना और/या ३० दिन तक की जेल हो सकती है । इसके अलावा एमवीसी उसके रजिस्ट्रेशन का अधिकार वापस ले सकती है ।

जाँच के नतीजे

जब वाहन जाँच में पास हो जाता है तो उसे स्वीकृति का प्रमाणपत्र मिलेगा यदि वाहन फेल हो जाता है तो उसके मालिक को गाड़ी पर लगे जाँच स्टिकर पर पड़ी आखिरी तारीख से एक महीने में जरूरी मरम्मत करा कर किसी स्टेट के या स्टेट से लाइसेन्स प्राप्त प्राइवेट जाँच विभाग में जाकर जाँच करवा लें । वाहन की जाँच का समय निकल जाने के बाद मरम्मत के लिये और समय नहीं मिलेगा ।

इस्तेमाल की हुई कारों की जाँच

यदि कोई पुरानी गाड़ी खरीदता है और उस की विन्डशीस्ड पर न्यूजर्सी का वैध जाँच का स्टिकर भी लगा है तो उसके पास दो विकल्प हैं:

- पिछले मालिक के लगे स्टिकर पर बचे समय का उपयोग करे या
- रजिस्ट्रेशन के १४ दिन के अन्दर वाहन को जाँच के लिये ले जाय ।

जाँच से छूट

कुछ वाहन जैसे ऐतिहासिक वाहन और कलेक्टर के वाहन की जाँच की जरूरत नहीं है।

- ऐतिहासिक वाहन कम से कम २५ साल पुराने हों और प्रदर्शिनी या शिक्षा के लिये प्रयोग में लाये गये हों या १९४५ के पहले के निर्मित हों उनका विशेष रजिस्ट्रेशन होता है और एक ओ.ओ.प्लेट वाहन के पीछे लगती है ।
- कलेक्टर के वाहन में दो लाइसेन्स प्लेट और एक तिकोना स्टिकर आगे की विन्डशील्ड के बायीं ओर होता है जो दो वर्ष के लिये वैध होता है । उसके मालिक को यह प्रमाण देना होता है कि उसने ३००० या उससे कम मील गाड़ी साल भर में चलायी है और उसका विशेष इन्श्योरेन्स (लिमिटेड यूज कलेक्टर

वेहिकिल) है । इसका नवीनीकरण हर दो वर्ष में होता है या मालिक बदल जाय तब होता है ।

इन्श्योरेन्स–बीमा

न्यूजर्सी स्टेट में मोटरवाहन का लाइबिलिटी इन्श्योरेन्स आवश्यक है । न्यूजर्सी में रजिस्टर हर गाड़ी का यह इश्योरन्स जरूरी है । बीमा की कीमत और उसके अन्तर्गत क्या सुविधाएं हैं इसमें अन्तर हो सकता है । इसके लिये बैंकिंग और बीमा विभाग (डीओबीआई), से पता करें ,किसी बीमा कम्पनी से सम्पर्क करें या वेब साइट डब्लूडब्लूडब्लू.एनजेडीओबीआई.ओआरजी पर देखें ।

हर बीमा किये हुए वाहन को पोलिसी के अन्तर्गत न्यूजर्सी बीमा का पहचानपत्र दिया जाता है । यह कार्ड हमेशा ड्राइवर के साथ कार में रहता है इसे वाहन की जाँच के पहले , किसी दुर्घटना से सम्बद्ध हो,यातायात में कानून के उल्लंघन पर रोका गया हो या सड़क पर अचानक चेकिंग हो रही हो दिखाना जरूरी होता है ।

बिना बीमा कराये वाहन को चलाने पर जुर्माना, लाइसेन्स और रजिस्ट्रेशन सस्पेन्ड किया जा सकता है और इनश्योरेन्स का मूल्य अधिक किया जा सकता है ।

इन्श्योरेन्स में धोखा

यदि कोई व्यक्ति बीमा कम्पनी को गलत सूचनाएं या पैसे की मांग के लिये अर्जी भरकर भेजता है तो ओआईएफपी उसे अपराधी घोषित कर सकती है जिसका परिणाम कैद हो सकता है । इसके अलावा उसे हर अपराध के लिये $१५००० तक का जुर्माना और इन्श्योरेन्स को धोखा देने के जुर्म में उसका लाइसेन्स भी जब्त हो सकता है ।

सड़क पर बने हुए चिन्ह

सड़क पर बने हुए चिन्हों में वही कानूनी शक्ति है जो यातायात के चिन्हों और सिग्नल में है ।

- बीच की पीली लाइन: विपरीत दिशा में जाने वाले यातायात के प्रवाह को अलग करती है।
- सफेद लाइन: जब एक से अधिक लेन हों तब एक ही दिशा में जाने वाले यातायात को अलग करती है यह लाइन सड़कों के किनारों को दिखाती है ।
- कटी हुई लाइनें: वाहन चालक के तरफ की सड़क के बीच की लाइन का अर्थ है कि सुरक्षित होने पर वहाँ से गुजर सकते हैं
- ठोस लाइन: वाहन चालक के तरफ की बीच की लाइन जहाँ से गुजर नहीं सकते।
- सड़क पर बने हुए तीर: जब दूसरे चिन्हों के साथ प्रयुक्त होते हैं तब वे उचित दिशा का निर्देश करते हैं कि वाहनचालक को उसी विशेष लेन में रहना है ।
- सफेद कटी हुई लाइने: कई लेन वाले हाईवे पर यातायात की लेन अलग करती हैं
- पीली ठोस लाइने: पार करने से रोकती हैं । गुजरने के लिये पीली ठोस लाइन को पार न करें । अपनी लेन में रहें यदि धीमें चला रहे हैं तो दाहिनी तरफ ही रहें ।
- पीली ठोस और कटी हुई लाइनें: ये गुजरने को नियन्त्रित करती हैं । यदि पीली ठोस लाइन चालक के सड़क की तरफ है तो न गुजरें । यदि कटी हुई लाइन चालक के सड़क की तरफ है तो पार कर सकते हैं पर पीली कटी रेखा ठोस बन जाय उसके पहले ही पार कर लें ।
- किनारे की लाइने: यह यात्रा की लेन से शोल्डर को अलग करती है और हाईवे के किनारों को दर्शाती है । पीली किनारे की लाइन शोल्डर को यातायात की लेन से अलग करती है और हाईवे के किनारे को दर्शाती है ।
- पैदल पार करने वाली सफेद लाइन: यह पैदल चलने वालों का पार करने का क्षेत्र बताती है पैदल यात्रियों को चाहिये कि सड़क पार करते समय इस जगह का प्रयोग करें । चौराहे पर जहाँ रुकने की लाइने नहीं बनी हैं वहाँ पैदल पार पथ के पूर्व रुकें जहाँ ट्रैफिक साइन या सिग्नल हों या पैदल यात्री हों ।
- सफेद रुकने की लाइने: ये लाइने यह दिखाती हैं कि रुकने के चिन्ह या ट्रैफिक सिग्नल पर कहाँ रुकना है ।

- सफेद विशेष चिन्ह: ये विशेष दशायें दर्शाते हैं जैसे स्टाप एहेड, स्कूल और आर/आर ये चिन्ह चालक को सावधान करते हैं । कुछ रेलरोड क्रासिंग पर चमकने वाली बत्ती और/या नीचा किया हुआ गेट सड़क के पार होते हैं वे ट्रेन के आने की सूचना देते हैं । जमीन पर बने हुए चिन्ह, निशान और क्रासबक आदि निष्क्रिय चेतावनी हैं और चमकती बत्ती व नीचे किये हुए गेट सक्रिय चेतावनी है । वाहनचालक को हमेशा ट्रेन के लिये रुककर उसे जाने देना चाहिये ।
- सफेद डाइमन्ड: ये हाई ओक्यूपेन्सी वेहिकिल {एचओवी} लेन को दर्शाती है जो एक विशेष प्रकार के वाहनों के लिये रिजर्व होती हैं । ऐसे वाहनों के लिये उस लेन की जमीन पर भी सफेद डाइमन्ड का चिन्ह पेन्ट किया हुआ होता है ।

विशेष रूप से सावधान करने के चिन्ह

ये चिन्ह मोटर चालक को धीरे चलने वाले वाहनों से सावधान करते हैं । प्रदीप्त और प्रतिबिम्बित नारंगी तिकोना चिन्ह धीमे चलने वाले वाहनों को सूचित करता है जैसे पब्लिक हाईवे पर फार्म और निर्माण के औजार जिनका प्रयोग पब्लिक हाईवे पर हो रहा है ।

स्पीड हम्प और बम्प

गति को नियन्त्रित करने वाले अन्य उपकरणों में स्पीड हम्प और स्पीड बम्प हैं । स्पीड हम्प एक ऐसा ढलुआँ नीचा टीला है जो सड़क के पार तक इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि कारें धीमी हो जायं । स्पीड हम्प स्पीड बम्प का अधिक लम्बा और बढ़ा हुआ रूप है जो ज्यादा उभरा हुआ होता है ।

गोल चक्कर

यह ऐसा गोल चौराहा है जिसके एक केन्द्र से यातायात चारो ओर एक दिशा में जाता है। ये गोल चक्कर इस तरह से डिजाइन किये जाते हैं कि सड़क का प्रयोग करने वाले सभी लोगों की जरूरतें पूरी हो जायं चाहे वे ड्राइवर,पदयात्री, विकलांग या साइकिल चलाने वाले कोई भी हों। गोल चक्कर झगड़े वाले यातायात को हटा देता है जैसे बायें मुड़ना जो परम्परागत चौराहों पर टक्कर का कारण होता है क्योंकि गोल चक्कर पर यातायात दाहिनी ओर से ही घुसता और निकलता है जिससे टक्कर होने की सम्भावना कम हो जाती है ।

आगे तीखा मोड़

बँटा हुआ हाईवे

पशु पार पथ

घुमावदार सड़क

मिल जाना

पहाड़ी

आगे सड़क सँकरी है

चौराहा

रेलरोड

स्कूल

गीली होने पर फिसलन

अस्पताल

विकलांग

आगे निकलने दें

आगे सिग्नल है

आदमी काम पर है

आगे झण्डेवाला आदमी है

रास्ता बदल गया है

आगे सड़क बन्द है

ठहरिये

सिर्फ बायें मुड़िये

ट्रक प्रवेश निषेध

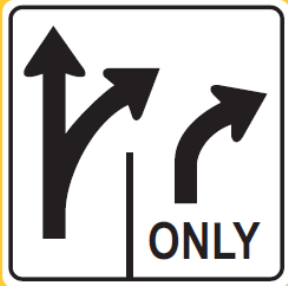

कई तरफ मुड़ने वाली लेन्स

प्रवेश निषेध

यू टर्न नहीं

किसी समय पार्किंग नहीं

न गुजरें

सलाहकार ढाल की गति

किनारे से जानेवाली सड़क

न गुजरने का क्षेत्र

आगे ठहरने का निशान

दोनो लेन का यातायात

सड़क तंग है

सड़क बन्द है

विकलांगों के लिये सुरक्षित पार्किंग

यू.एस.१

यू.एस.९

विश्राम क्षेत्र

यहाँ लाल बत्ती पर रुके

काउन्टी के रास्ते के निशान | निकलने के निशान | मील का निशान | किसी समय न रुकें

पैदल यात्री नहीं | न मुड़ें | सिर्फ बायें मुड़ें | अन्तर राज्य

सिर्फ बायें या सीधे | बस/कार पूल लेन | एक ही तरफ रास्ता | दाहिने ही रखें

गलत रास्ता | पार्किंग निषेध | आगे जाने दें | दायें न मुड़ें

कार की दशा

हर मोटरचालक को कार चलाने के पूर्व कार की दशा का निरीक्षण अच्छी तरह से कर लेना चाहिये । यदि निम्नलिखित चीजें ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब है कि उनकी मरम्मत की जरूरत है ।

पीछे की बत्ती (बैक अप लाइट)

जब उल्टी दिशा में वाहन चला रहे हों तो यह चेक कर लेना चाहिये कि पीछे की बत्तियाँ काम कर रही हैं ।

नोट:– जब वाहन आगे चला रहे हों तब पीछे की बत्तियाँ जलाना न्यूजर्सी कानून के विरुद्ध है ।

ब्रेक्स

वाहन चलाते समय ब्रेक आसानी से और जल्दी से लग जाना चाहिये । यदि ब्रेक का पैडल सख्त हो गया है या उसमें से अजीब तरह की किकियाने की आवाज आ रही है तो ब्रेक को चेक करना चाहिये । कार को पानी में से ले जाकर उन्हें धीरे से पम्प करके सुखा लेना चाहिये । यदि ब्रेक मुस्किल से लगते हैं तो लाक हो सकते हैं । ऐसा हो कि चालक २० मील प्रति घण्टे की रफ्तार से २५फिट के अन्दर रुक सके । अगर कार में एन्टी ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) है तो ब्रेक के पैडल पर दबाव डालकर टेस्ट किया जा सकता है । चालक को कभी भी एबीएस को पम्प नहीं करना चाहिये और न ब्रेक लगाते समय स्टीयरिंग व्हील को झटका देना चाहिये । यदि सड़क गीली और फिसलन भरी है तो चालक को सावधान होकर चलाना चाहिये और आगे वाली गाड़ी से दूरी बनाये रखनी चाहिये ।

ब्रेक लाइट

अगर कार के ब्रेक लाइट काम नहीं कर रही है तो कोई भी पीछे से टक्कर मार सकता है। चालक के पास कोई होना चाहिये जो ब्रेक लाइट को चेक कर सके । टूटे हुए कवर को बदल दें । वे ऐसी चमक का कारण हो सकती हैं जो उसकी गर्दन को प्रभावित करे।

हेड लाइट

तेज और धीमी लाइट काम करनी चाहिये व एक ही लाइन मेंहोनी चाहिये । वाहन चालक उन्हें गैरेज की दीवाल या पार्क किये हुये वाहन पर चेक कर सकता है ।।बत्तियों को साफ रखना चाहिये । जब चालक की बत्तियाँ धीमी रोशनी पर हों और दूसरा गाड़ी चलाने वाला अपनी बत्तियाँ चमका रहा हो तो इसका मतलब है कि बत्तियाँ लाइन के बाहर हैं ।

हार्न

हार्न का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिये वरन अक्सर चेक करते रहना चाहिये कि वह ठीक से काम कर रहा है । जब किसी अँधेरी गली, मोड़ या ड्राइववे से निकल रहे हों तब सिग्नल देने के लिये इसका प्रयोग करना चाहिये ।

स्टियरिंग

सीधी सतह वाली सड़क पर सीधी गाड़ी चलानी चाहिये । आगे का किनारा हिलना नहीं चाहिये । चालक को स्टियरिंग व्हील बहुत नहीं घुमाना चाहिये ।

पीछे की बत्ती

पीछे की और साइड की लाइटें हमेशा ठीक होनी चाहिये । उनके सिग्नल दूसरे वाहन चालकों को अँधेरे में दुर्घटना होने से बचाते हैं ।

टायर

वाहन चालक यदि ड्राइव करते हुए कोई असामान्य आवाज सुनता है तो उसे अपनी गाड़ी के टायर चेक करना चाहिये । बम्प्स , कट्स या खराब तरीके से चलाने से टायर फट सकते हैं । टायर का दबाव अक्सर चेक कर लेना चाहिये खास तौर से जब टायर ठण्डा हो । दबाव कितना हो इसके लिये कार के साथ मिली पुस्तिका में पढ़ें या सर्विस स्टेशन पर सलाह लें ।ठीक प्रकार से हवा भरे हुए टायर गैस कम खर्च करके पैसा बचाते हैं । सड़क पर ठीक से चलने के लिये टायरों को मैच करना चाहिये यानी रेडियल टायर को दूसरे टायरों से न मिलायें ।

मुड़ने के सिग्नल

वाहन चालक क्लिक की आवाज सुनने में समर्थ हो और डैशबोर्ड पर लाइट के चमकते हुए तीर देख सके । यदि वे काम नहीं कर रहे हैं तो जितनी जल्दी सम्भव हो उन्हें ठीक करवा ले । । इस बीच चालक को चाहिये कि हाथ के सिग्नल
का प्रयोग करे ।

विन्डशील्ड

विन्डशील्ड में क्रैक होने से वह टूट सकती है । उसे ठीक करवा लेना चाहिये । उसके वाइपर भी ठीक से काम कर रहे हों।